

अध्याय 2
निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय 2

निष्पादन लेखापरीक्षा

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

2.1 चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली

हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना फरवरी 1970 में हिसार में हुई थी और 31 अक्टूबर 1991 को इसका नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार (विश्वविद्यालय) रख दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि, कृषीय अभियांत्रिकी, गृह विज्ञान और अन्य संबद्ध विज्ञानों में शिक्षा प्रदान करना; शिक्षा और अनुसंधान के उत्थान तथा राज्य में ग्रामीण लोगों तक ऐसे विज्ञान का विस्तार करना है। विश्वविद्यालय की निष्पादन लेखापरीक्षा ने वित्तीय प्रबंधन और मूलभूत संरचना विकास में कमियां प्रकट कीं जिसने विश्वविद्यालय की संपूर्ण उद्देश्य प्राप्त करने की योग्यता को क्षीण कर दिया। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों का सारांश नीचे दिया गया है:

विशिष्टताएं

₹ 3.12 करोड़ के अनुदान अव्ययित पड़े थे क्योंकि वे स्रोत एवं प्रयोजन, जिनके लिए ये अनुदान प्राप्त हुए थे, ज्ञात नहीं थे। ₹ 22.22 करोड़ के अस्थाई अग्रिम असमायोजित रहे।

(अनुच्छेद 2.1.6.2 और 2.1.6.3)

कृषि महाविद्यालय, हिसार और आधारभूत विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय, हिसार में पी.जी. डिप्लोमा और एम.बी.ए. कोर्स में दाखिले में 40 तथा 56 प्रतिशत के मध्य कमी थी।

(अनुच्छेद 2.1.7.1)

विश्वविद्यालय में 55 प्रतिशत शिक्षण स्टाफ और 41 प्रतिशत गैर-शिक्षण स्टाफ की कमी थी।

(अनुच्छेद 2.1.7.2)

विश्वविद्यालय परिसर के हॉस्टलों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव था; दो हॉस्टलों का रखरखाव बहुत खराब था। इसी तरह, कौल में स्थित ब्रह्मसरोवर हॉस्टल की हालत बहुत खराब थी।

(अनुच्छेद 2.1.7.5 और 2.1.7.6)

विशेषज्ञ वैज्ञानिक की नियुक्ति के अभाव में टिशू कल्चर प्रयोगशाला अक्रियात्मक पड़ी थी।

(अनुच्छेद 2.1.7.8)

अन्य एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित 100 अनुसंधान परियोजनाओं में से केवल 49 अनुसंधान परियोजनाएं पूरी हुईं और 51 परियोजनाएं अधूरी रह गईं।

(अनुच्छेद 2.1.8.1)

बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए पहचानी गई 56 तकनीकों में से केवल 13 तकनीकों के संबंध में बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त किए गए थे।

(अनुच्छेद 2.1.8.3)

राम धन सिंह बीज फार्म की केवल 44 प्रतिशत और 50 प्रतिशत खेती योग्य भूमि का उपयोग क्रमशः खरीफ और रबी मौसम के दौरान किया गया था। इसके अतिरिक्त, निधियों की उपलब्धता के बावजूद सिंचाई का प्रबंधन करने के कारण खरीफ और रबी मौसम में फसलें खराब हुईं।

(अनुच्छेद 2.1.9.1(i))

नमूना-जांच किए गए नौ कृषि विज्ञान केंद्रों में से पांच कृषि विज्ञान केंद्रों में कृषि योग्य भूमि का उपयोग कम हुआ।

(अनुच्छेद 2.1.10.1)

बड़ी संख्या में फसल की नई किस्मों को फ्रंट लाइन डेमोंस्ट्रेशन के माध्यम से प्रचारित नहीं किया गया; दूसरी ओर पुरानी किस्मों पर फ्रंट लाइन डेमोंस्ट्रेशन का आयोजन किया गया था। इसके अतिरिक्त, किसानों द्वारा फसलों की नई किस्मों को न अपनाने के मामले भी थे।

(अनुच्छेद 2.1.10.2)

2011-13 के दौरान ₹ 1.18 करोड़ की निधियां जारी करने के बावजूद छः कृषि विज्ञान केंद्रों में सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित नहीं किए गए थे।

(अनुच्छेद 2.1.10.3)

2.1.1 प्रस्तावना

पूर्ववर्ती पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के विभाजन के बाद हरियाणा एंड पंजाब कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 के अंतर्गत हिसार में फरवरी 1970 में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और 31 अक्टूबर 1991 को इसका नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार (विश्वविद्यालय) रख दिया गया। विश्वविद्यालय के पास हिसार में खेती के लिए 5,359 एकड़, भवन एवं सड़कों के लिए 736 एकड़ एवं बाहरी स्टेशनों के अधीन 1,418 एकड़ भूमि है। विश्वविद्यालय के पास एक उप-अनुसंधान स्टेशन सहित छः क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन¹, 19 कृषि विज्ञान केंद्र (14² भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रायोजित और


¹ (i) कौल; (ii) बावल; (iii) करनाल; (iv) रोहतक; (v) सिरसा तथा (vi) बुरिया (यमुनानगर)।

² (i) भिवानी, (ii) दामला (यमुनानगर), (iii) फरीदाबाद, (iv) फतेहाबाद, (v) झज्जर, (vi) जींद, (vii) कैथल, (viii) कुरूक्षेत्र, (ix) महेन्द्रगढ़, (x) पानीपत, (xi) रोहतक, (xii) सादलपुर, (xiii) सिरसा तथा (xiv) सोनीपत।

पांच³ राज्य प्रायोजित) तथा छः संघटक कॉलेज⁴ हैं। विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों विशेषतया कृषि, कृषीय अभियांत्रिकी, गृह विज्ञान और अन्य संबद्ध विज्ञानों में शिक्षा प्रदान करना; शिक्षा और अनुसंधान के उत्थान तथा राज्य में ग्रामीण लोगों तक ऐसे विज्ञान का विस्तार करना है।

2.1.2 संगठनात्मक ढांचा

विश्वविद्यालय के संगठनात्मक ढांचे को निम्नलिखित चार्ट में दर्शाया गया है:



प्रबंधन बोर्ड और शैक्षणिक परिषद को विश्वविद्यालय के अधिनियम और कानून में विश्वविद्यालय के मामलों के प्रबंधन के लिए विश्वविद्यालय के प्राधिकरण के रूप में घोषित किया गया है। प्रबंधन बोर्ड विश्वविद्यालय का सर्वोच्च शासी निकाय है जो विश्वविद्यालय के सुचारू कामकाज के लिए नीतिगत दिशानिर्देश तय करता है। प्रबंधन बोर्ड के अन्य आधिकारिक सदस्यों में राज्य सरकार के कृषि, वित्त तथा विकास और पंचायत विभागों के सचिव शामिल हैं। शैक्षणिक परिषद एक वैधानिक निकाय है जो विश्वविद्यालय में शैक्षणिक मामलों के संचालन के लिए नीतियों को निर्धारित करता है।

³ (i) अंबाला, (ii) बावल, (iii) करनाल, (iv) मंडकोला (पलवल) तथा (v) पंचकुला।

⁴ (i) कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, हिसार; (ii) कृषि महाविद्यालय, हिसार, (iii) कृषि महाविद्यालय, कौल, (iv) कृषि महाविद्यालय, बावल, (v) आधारभूत विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय, हिसार तथा (vi) इंदिरा चक्रवर्ती गृह विज्ञान महाविद्यालय, हिसार।

2.1.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह मूल्यांकन करना था कि क्या:

- वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन कुशल था;
- बीज उत्पादन कार्यक्रम सहित शैक्षणिक कार्यों और अनुसंधान गतिविधियों को प्रभावी ढंग से किया गया;
- किसानों को कृषि प्रौद्योगिकियों का विस्तार कुशलतापूर्वक किया गया; तथा
- मानवशक्ति की उपलब्धता पर्याप्त थी और इसका उपयोग उचित था।

2.1.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

2013-18 की अवधि के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा दिसंबर 2017 - मई 2018 के दौरान आयोजित की गई। नियंत्रक, रजिस्ट्रार, निदेशालय, डीन, संपदा अधिकारी, पुस्तकालय, लैंड स्केप इकाई, कैंपस स्कूल/अस्पताल, कृषीय प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र, परिवहन, प्रिंटिंग प्रेस, भंडार एवं क्रय संगठन, सुरक्षा अधिकारी, विस्तार शिक्षा संस्थान, नीलोखेड़ी तथा सहायक प्रशिक्षण निदेशक, हिसार; विश्वविद्यालय के दो बीज फार्मों में से एक बीज फार्म (राम धन सिंह बीज फार्म), छः कंस्टीट्यूट कालेजों में से तीन⁵, छः अनुसंधान स्टेशन में से दो⁶, 14 कृषि विज्ञान केंद्रों (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रायोजित) में से सात⁷, पांच कृषि विज्ञान केंद्रों (राज्य प्रायोजित) में से दो⁸ के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना-जांच की गई थी। नमूना-जांच के लिए इकाइयों का चयन रैंडम सैंपलिंग पद्धति अपनाकर किया गया था।

सरकार और विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ जनवरी 2018 में एंट्री कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, लेखापरीक्षा मापदंड, लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र पर चर्चा की गई थी। सरकार और विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ सितंबर 2018 में एग्जिट कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। एग्जिट कॉन्फ्रेंस के विमर्शों और विश्वविद्यालय के उत्तरों को समुचित रूप से शामिल किया गया है।

2.1.5 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से लिए गए थे:

- विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं विधान;
- विश्वविद्यालय का लेखा संहिता खंड-I और II;
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और उनके दिशानिर्देश; तथा
- विस्तृत परियोजना रिपोर्टों में नियत अनुसंधान कार्य के मानक एवं लक्ष्य।

⁵ (i) कृषि महाविद्यालय, हिसार; (ii) कृषि महाविद्यालय, कौल, (iii) मानवीय एवं मूलभूत विज्ञान, महाविद्यालय, हिसार।

⁶ (i) करनाल तथा (ii) कौल।

⁷ (i) फतेहाबाद, (ii) झज्जर, (iii) जींद, (iv) कैथल, (v) पानीपत, (vi) रोहतक तथा (vii) सादलपुर (हिसार)।

⁸ (i) अंबाला तथा (ii) करनाल।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.1.6 वित्तीय प्रबंधन

विश्वविद्यालय को निधियां राज्य सरकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अन्य एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय परीक्षण फीस के माध्यम से अर्जित आय के साथ-साथ विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से बाहरी एजेंसियों से भी संसाधन सृजित करता है।

2.1.6.1 प्राप्तियां एवं व्यय

2013-18 के दौरान विश्वविद्यालय की प्राप्तियों एवं व्यय के विवरण तालिका 2.1 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.1: विश्वविद्यालय की प्राप्तियां और व्यय के विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्तियां					व्यय	अंतिम शेष
		राज्य सरकार से सहायता अनुदान (योजनेतर/योजनागत)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	अन्य एजेंसियां ⁹	विश्व-विद्यालय की आय	कुल निधियां		
2013-14	63.12	260.16 (67.08)	34.21 (8.82)	12.51 (3.23)	17.82 (4.59)	387.82	324.97 (83.79)	62.85 (16.21)
2014-15	62.85	231.66 (63.95)	36.81 (10.16)	11.30 (3.12)	19.63 (5.42)	362.25	353.03 (97.45)	9.22 (2.55)
2015-16	9.22	320.17 (77.07)	48.23 (11.61)	20.29 (4.88)	17.52 (4.22)	415.43	357.10 (85.96)	58.33 (14.04)
2016-17	58.33	320.31 (71.27)	43.02 (9.57)	9.70 (2.16)	18.07 (4.02)	449.43	378.76 (84.28)	70.67 (15.72)
2017-18	70.67	358.08 (71.98)	33.73 (6.69)	22.25 (4.41)	19.75 (3.91)	504.48	425.29 (84.30)	79.19 (15.70)
कुल		1490.38	196.00	76.05	92.79		1839.15	

टिप्पणी - कोष्ठक में आंकड़े कुल निधियों का प्रतिशत हैं।

* 2017-18 के आंकड़े अस्थाई हैं।

(स्रोत: विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया डाटा)

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, 2013-18 के दौरान विश्वविद्यालय की प्राप्तियां मुख्य रूप से राज्य सरकार के सहायता अनुदान से तथा वार्षिक उपलब्ध निधियों के 63.95 और 77.07 प्रतिशत के मध्य थीं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से प्राप्त निधियां 6.69 और 11.61 प्रतिशत के मध्य थी। विश्वविद्यालय का व्यय 83.79 और 97.45 प्रतिशत के मध्य रहा। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2014-15 (2.55 प्रतिशत) को छोड़कर प्रत्येक वर्ष पर्याप्त अंत शेष थे जो कुल उपलब्ध निधियों का 14.04 और 16.21 प्रतिशत के मध्य थे।

⁹ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और राज्य सरकार के विभिन्न विभाग/संगठन।

विश्वविद्यालय ने बताया (मई 2018) कि राज्य सरकार/अन्य वित्तपोषण एजेंसियों से मांग करते समय रिक्त पदों के लिए आवश्यक निधियां भी शामिल की गई थी। इन रिक्त पदों के भरे न जाने/मौजूदा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण, प्राप्त निधियां अप्रयुक्त रह गईं। एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी बताया गया कि 2017-18 के दौरान शिक्षकों के वेतनमान में संशोधन नहीं होने के कारण बचत हुई। इस प्रकार, विश्वविद्यालय ने वर्ष के दौरान कितने रिक्त पद भरे जाने हैं, की संभावना को ध्यान में रखे बिना लगातार कई वर्षों तक रिक्त पदों के विरुद्ध बजट तैयार किया।

2.1.6.2 अवर्गीकृत होने के कारण अनुदानों का उपयोग न होना

अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि विश्वविद्यालय के पास 2013-14 से 2017-18 के दौरान ₹ 9.27¹⁰ करोड़ के अवर्गीकृत अनुदान (राशि जिसके लिए स्रोत एवं प्रयोजन ज्ञात नहीं) थे। इसमें से, ₹ 6.15¹¹ करोड़ के अनुदान समायोजित कर लिए गए थे तथा शेष ₹ 3.12 करोड़ के अनुदान अवर्गीकृत रहे। **लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि विश्वविद्यालय ने निधि प्रदान करने वाली एजेंसियों के साथ मामला नहीं उठाया तथा बैंकों में प्राप्तियों के साथ निधियों के मिलान का प्रयास नहीं किया और न ही अनुदानों/परियोजनाओं के प्रयोजन के साथ इसका मिलान करने का प्रयास किया।**

विश्वविद्यालय ने एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर वे वित्तपोषण एजेंसियों के नाम शामिल करवाने के लिए बैंक प्राधिकारियों के पास गए। यह भी आश्वासन दिया गया था कि अवर्गीकृत अनुदानों के निपटान के लिए ध्यान रखा जाएगा।

2.1.6.3 बकाया अस्थाई अग्रिम

विश्वविद्यालय की लेखा संहिता वॉल्यूम-1 के अनुच्छेद 6.13 में प्रावधान है कि एक विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए आहरित अस्थाई अग्रिमों को उनके आहरण के एक माह के भीतर समायोजित किया जाना चाहिए।

अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि ₹ 28.45¹² करोड़ के अस्थाई अग्रिम 31 जनवरी 2018 तक असमायोजित रहे। अग्रिमों के समायोजन के अभाव में, उनके वास्तविक उपयोग का पता नहीं लगाया जा सका। लेखापरीक्षा ने आगे अवलोकित किया कि ₹ 1.86 करोड़ के अस्थाई अग्रिम पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित थे।

विश्वविद्यालय ने बताया (मार्च 2018) कि विभागों के नियंत्रक अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित करके अधिकतम अस्थाई अग्रिमों को समायोजित करने के लिए निरंतर प्रयास किए गए

¹⁰ 2013-14: ₹ 0.02 करोड़, 2014-15: ₹ 0.05 करोड़, 2015-16: ₹ 0.12 करोड़, 2016-17: ₹ 1.74 करोड़ तथा 2017-18: ₹ 7.34 करोड़।

¹¹ 2015-16: ₹ 0.04 करोड़, 2016-17: ₹ 0.92 करोड़ तथा 2017-18: ₹ 5.19 करोड़।

¹² 2013-14 से पूर्व: ₹ 1.86 करोड़, 2013-14: ₹ 0.58 करोड़, 2014-15: ₹ 0.70 करोड़, 2015-16: ₹ 2.70 करोड़, 2016-17: ₹ 16.21 करोड़, 2017-18: ₹ 6.40 करोड़ (जनवरी 2018 तक)।

थे। उत्तर सही नहीं था क्योंकि बकाया अस्थाई अग्रिम वर्ष-दर-वर्ष बढ़ रहे थे। एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान विश्वविद्यालय ने बताया कि बकाया अस्थाई अग्रिम घटकर ₹ 22.22 करोड़ रह गए थे।

लंबे समय तक अस्थाई अग्रिमों का समायोजन न करने से निधियों के दुर्विनियोजन की आशंका बनी रहती है।

2.1.6.4 गलत लेखापरीक्षा उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की प्रस्तुति

लेखापरीक्षा उपयोगिता प्रमाण-पत्र, उस प्रयोजन पर वास्तव में किए गए व्यय के अनुसार प्रस्तुत किए जाने चाहिए जिसके लिए निधियों की संस्वीकृति दी गई थी। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि तालिका 2.2 में दिए विवरण के अनुसार ₹ 4.66 करोड़ के गलत लेखापरीक्षा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए गए थे।

तालिका 2.2: गलत लेखापरीक्षा उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के विवरण

(₹ लाख में)

	प्राप्त की गई निधियों के विवरण		प्रयुक्त राशि/ शेष निधियां		भेजे गए लेखापरीक्षा उपयोगिता प्रमाण-पत्र के विवरण		गलत लेखापरीक्षा उपयोगिता प्रमाण-पत्र की राशि
	राशि	प्राप्ति का माह	प्रयुक्त	शेष	राशि	माह	
सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना (निदेशक, विस्तार शिक्षा)	118.45	नवंबर 2011 से अप्रैल 2012	60.62	57.83	118.45	अगस्त 2012	57.83
शिक्षण अनुसंधान एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम में सुदृढीकरण/नई पहल के लिए विशेष अनुदान (अनुसंधान निदेशक)	430.00	मार्च 2013	100.00	330.00	429.98	अक्टूबर 2013	330.00
	310.00	मार्च 2015	217.00	93.00	295.64	दिसंबर 2015	78.64
कुल	858.45		377.62	480.83	844.07		466.47

(स्रोत: विश्वविद्यालय द्वारा आपूरित डाटा)

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान विश्वविद्यालय ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया कि भविष्य में उपयोगिता प्रमाण-पत्र निधियों के वास्तविक उपयोग के आधार पर भेजे जाएंगे।

गलत लेखापरीक्षा उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा करने से निधियों के दुर्विनियोजन का जोखिम होता है।

2.1.7 शैक्षणिक गतिविधियां

2.1.7.1 छात्रों का कम दाखिला

विश्वविद्यालय बी.एससी. (ऑनर्स), कृषि/सामुदायिक विज्ञान में स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम; बी.टेक (कृषि इंजीनियरिंग), अंग्रेजी में संचार कौशल/अंग्रेजी हिंदी अनुवाद/रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली में पी.जी. डिप्लोमा, कृषि एवं पर्यावरण में अनुप्रयोग; एम.एससी जैव-रसायन/रसायन विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/सूक्ष्म जीव विज्ञान, एम.बी.ए. (सामान्य/कृषि व्यवसाय), पीएच.डी. जैव रसायन विज्ञान/रसायन विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/सूक्ष्म जीव विज्ञान, इत्यादि में शिक्षा प्रदान करता है। 3,834 छात्रों की धारण क्षमता के विरुद्ध 2013-18 के दौरान विभिन्न

पाठ्यक्रमों में 3,733 छात्रों का वास्तविक दाखिला किया गया था। जिन पाठ्यक्रमों में 2013-18 की अवधि के लिए धारण क्षमता के संदर्भ में छात्रों का कम दाखिला देखा गया था, उन्हें तालिका 2.3 में दर्शाया गया है।

तालिका: 2.3 छात्रों के कम दाखिले के विवरण

क्र. सं.	कॉलेज का नाम	कोर्स का नाम	धारण क्षमता	वास्तव में दाखिला	कम दाखिले की प्रतिशतता
1	कृषि महाविद्यालय, हिसार	पी.जी. डिप्लोमा	50	22	56
		एम.बी.ए.	198	119	40
2	आधारभूत विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय, हिसार	एम.एससी	251	223	11
		पी.जी. डिप्लोमा	200	108	46
3	इंदिरा चक्रवर्ती गृह विज्ञान महाविद्यालय, हिसार	बी.एससी (ऑनर्स)	410	379	8
		एम.एससी	157	146	7
		पीएच.डी	77	62	19

(स्रोत: विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया डाटा)

जैसा कि उपर्युक्त तालिका दर्शाती है, पी.जी. डिप्लोमा और एम.बी.ए. पाठ्यक्रमों के संबंध में कमी थी और 40 और 56 प्रतिशत के मध्य रही। इसके परिणामस्वरूप शैक्षणिक ढांचे का कम उपयोग हुआ है।

डीन, कृषि महाविद्यालय, हिसार ने बताया (अप्रैल 2018) कि पी.जी. डिप्लोमा में कम दाखिले सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में डिप्लोमा के लिए घटते अवसरों के कारण था। एम.बी.ए. पाठ्यक्रम के लिए शैक्षणिक सत्र 2017-18 से विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय के संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए एम.बी.ए. (सामान्य) की खाली सीटों को एम.बी.ए. (कृषि व्यापार) की सीटों में या इसके विपरीत बदलने की नीति अपनाई गई है।

विश्वविद्यालय को बुनियादी ढांचे और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए इन पाठ्यक्रमों को अन्य आवश्यक संचालित पाठ्यक्रमों में परिवर्तित करने के लिए मौजूदा पाठ्यक्रम की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

2.1.7.2 स्टाफ की कमी

31 मार्च 2018 को विश्वविद्यालय में स्वीकृत संख्या एवं नियुक्त स्टाफ की स्थिति तालिका 2.4 में दी गई है:

तालिका 2.4: स्वीकृत संख्या, नियुक्त स्टाफ एवं कमी दर्शाती विवरणी

पद/संवर्ग का नाम	स्वीकृत संख्या	नियुक्त स्टाफ	कमी	
			कमी	प्रतिशतता
डीन/निदेशक/अपर-निदेशक	12	8	4	33
क्षेत्रीय निदेशक	2	शून्य	2	100
प्रोफेसर एवं समकक्ष/लाइब्रेरियन ¹³	39	2	37	95
एसोसिएट प्रोफेसर एवं समकक्ष/उप-लाइब्रेरियन	192	11	181	94
सहायक प्रोफेसर एवं समकक्ष/सहायक लाइब्रेरियन	797	444	353	44
कुल	1,042	465	577	55
गैर-शिक्षण स्टाफ	3,107	1,845	1,262	41

(स्रोत: विश्वविद्यालय के अभिलेखों से संकलित डाटा)।

जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है कि 55 प्रतिशत शिक्षण स्टाफ और 41 प्रतिशत गैर-शिक्षण स्टाफ की कमी थी। कृषि महाविद्यालयों के मुख्य शिक्षण विभागों में शिक्षण स्टाफ की भारी कमी थी, जैसा कि तालिका 2.5 में विवरण दिया गया है:

तालिका 2.5: मुख्य शिक्षण विभागों में स्टाफ की कमी दर्शाने वाले विवरण

विधा/विभाग का नाम	संस्वीकृत संख्या	तैनाती	कमी	
			कमी	प्रतिशतता
मृदा विज्ञान	95	25	70	74
कृषिविज्ञान	110	57	53	48
जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग	133	46	87	65
प्लांट पैथोलॉजी	65	29	36	55
कीटविज्ञान	60	26	34	57
बागवानी	46	24	22	48
वनस्पति विज्ञान	43	21	22	51
कृषि अर्थशास्त्र	43	17	26	60
बीज विज्ञान और प्रौद्योगिकी	11	2	9	82
कुल	606	247	359	59

विश्वविद्यालय ने बताया (जून 2019) कि विश्वविद्यालय का कार्य स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए वर्तमान संकाय सदस्यों को उनके कार्यों के साथ अतिरिक्त कार्यों के आवंटन के द्वारा किया जा रहा था।

स्टाफ/वैज्ञानिकों इत्यादि की कमी के परिणामस्वरूप तीन¹⁴ कृषि विज्ञान केंद्रों में मिट्टी परीक्षण किट का उपयोग नहीं किया गया; कृषि विज्ञान केंद्र, ऊझा (पानीपत) और क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन, उचानी (करनाल) में टिशू कल्चर प्रयोगशाला में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का परिचालन नहीं हुआ। जैविक खाद्य प्रयोगशाला, हिसार के विकास पर किया गया ₹ 3.76 करोड़ का व्यय निष्फल रहा क्योंकि प्रयोगशाला को अपेक्षित मानवशक्ति की कमी के कारण क्रियाशील नहीं किया जा सका।

¹³ शिक्षण पद में लाइब्रेरियन, उप-लाइब्रेरियन तथा सहायक लाइब्रेरियन शामिल हैं।

¹⁴ (i) फतेहाबाद, (ii) झज्जर एवं (iii) सादलपुर (हिसार)।

नमूना-जांच किए गए नौ कृषि विज्ञान केंद्रों में स्टाफ की स्थिति तालिका 2.6 में दी गई है।

तालिका 2.6: नौ कृषि विज्ञान केंद्रों में कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या, नियुक्ति स्थिति और कमी को दर्शाने वाला विवरण

पद का नाम	स्वीकृत संख्या	तैनाती 2013-14	तैनाती 2017-18
प्रोग्रामर/वरिष्ठ समन्वयक	8	8	3
विषय विशेषज्ञ	56	43	30
कार्यक्रम सहायक	21	15	10
गैर-तकनीकी कर्मचारी	69	45	37
कुल	154	111	80

(स्रोत: विश्वविद्यालय के अभिलेख से संकलित डाटा)

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में दर्शाया गया है, 2017-18 में केवल 50 प्रतिशत तकनीकी कर्मचारी ही तैनात थे। इसके अतिरिक्त, नमूना-जांच किए गए दो क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशनों में 148 की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध केवल 76 कर्मचारियों (49 प्रतिशत की कमी) को तैनात किया गया था।

विश्वविद्यालय ने बताया (फरवरी 2018) कि राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण गैर-शिक्षण कर्मचारियों के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से नहीं भरा जा सका। एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान आगे बताया गया कि जून 2017 में पदों को भरने पर प्रतिबंध हटा दिया गया था और विश्वविद्यालय ने 97¹⁵ शिक्षण पदों को भरा था और 300 से अधिक पदों के लिए अतिरिक्त विज्ञापन (सितंबर 2018) दिए गए थे।

1970 में नियत किए गए स्वीकृत पदों की संख्या में कोई संशोधन नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय वास्तविक भर्ती और विभिन्न पाठ्यक्रमों/विषयों की मांग में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत पदों की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए समीक्षा करे।

2.1.7.3 कैम्पस प्लेसमेंट

विश्वविद्यालय द्वारा 1970 में एक कैरियर सलाह और प्लेसमेंट कक्ष की स्थापना की गई थी। 2013-14 से 2016-17 के दौरान अंडर-ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट छात्रों के दाखिले के विरुद्ध प्लेसमेंट की स्थिति तालिका 2.7 में दर्शाई गई है:

¹⁵ 2017 में 66 और 2018 में 31.

तालिका 2.7: दाखिले के विरुद्ध प्लेसमेंट की स्थिति

वर्ष	कोर्स	पास	दाखिला	प्लेसमेंट
2013-14	अंडर-ग्रेजुएट	271	125	80
	पोस्ट-ग्रेजुएट	199		
2014-15	अंडर-ग्रेजुएट	219	135	84
	पोस्ट-ग्रेजुएट	244		
2015-16	अंडर-ग्रेजुएट	282	110	65
	पोस्ट-ग्रेजुएट	241		
2016-17	अंडर-ग्रेजुएट	293	130	78
	पोस्ट-ग्रेजुएट	270		

(स्रोत: विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया डाटा)

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि पूर्वोक्त अवधि के दौरान 59 से 64 प्रतिशत छात्रों को विभिन्न/संस्थाओं जैसे बैंकिंग क्षेत्रों, उद्योगों, निगमों, दवा कंपनियों इत्यादि में नियुक्ति मिल गई थी। इसके अतिरिक्त, 177 छात्र प्रत्यक्ष रूप से विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, सरकारी क्षेत्रों इत्यादि में चुने गए थे।

2.1.7.4 प्रकाशनों की राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी रेटिंग

राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी कृषिपालन, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि-वानिकी और कृषि एवं कृषि उद्योग के मध्य अंतरापृष्ठ के साथ-साथ कृषि विज्ञान के व्यापक क्षेत्र पर केंद्रित है। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी का मुख्य उद्देश्य इन क्षेत्रों में व्यक्तिगत वैज्ञानिकों की उत्कृष्टता को पहचानना और बढ़ावा देना है। थॉम्पसन रॉयटर्स द्वारा नियत इंपैक्ट फैक्टर¹⁶ पत्रिकाओं के आकलन के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त संकेतक है। यदि एक या दो वर्ष पहले प्रकाशित लेख का एक बार उल्लेख किया जाता है तो थॉम्पसन रॉयटर्स इंपैक्ट फैक्टर द्वारा 1 अंक दिया जाता है और यदि प्रकाशित लेख का उल्लेख तीन बार किया गया तो थॉम्पसन रॉयटर्स द्वारा इंपैक्ट फैक्टर 3 अंक दिए जाते हैं। अनुसंधान पत्रिकाओं के अंक निर्धारित करने के लिए, अकादमी ने उन्हें निम्नलिखित दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया है:

श्रेणी I: उन पत्रिकाओं में जहां थॉम्पसन रॉयटर्स इंपैक्ट फैक्टर उपलब्ध है, स्कोर 6.00+ इंपैक्ट फैक्टर दिए गए हैं जो अधिकतम 20.00 तक हो सकते हैं।

श्रेणी II: वे पत्रिकाएं जहां थॉम्पसन रॉयटर्स इंपैक्ट फैक्टर उपलब्ध नहीं हैं, अकादमी द्वारा निर्धारित एक प्रोफार्मा में प्रकाशकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर अंक दिए गए हैं।

राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी की छः और अधिक की रेटिंग को इंपैक्ट फैक्टर वाली माना जाता है। अतः पत्रिकाओं की राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी की रेटिंग जितनी अधिक होगी, इंपैक्ट फैक्टर उतना ही अधिक होगा।

¹⁶ इंपैक्ट फैक्टर उस फ्रीक्वेंसी का माप होता है जिसके साथ किसी पत्रिका के औसत लेख को किसी विशेष वर्ष में उद्धृत किया जाता है। यह किसी पत्रिका के महत्व या रैंक को मापने के लिए किया जाता है, जब इसके लेखों का हवाला दिया जाता है।

छः संघटक महाविद्यालयों में से चार¹⁷ स्नातकोत्तर कार्यक्रम आयोजित करते हैं। विभिन्न पत्रिकाओं में कुल 1,660 प्रकाशन प्रकाशित हुईं, जिनमें से केवल 211 पत्रिकाओं को 6 से ऊपर राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी की रेटिंग में जगह मिली जो यह दर्शाता है कि केवल 13 प्रतिशत प्रकाशनों को ही ख्याति प्राप्त जर्नलों में छापा जा सका।

विश्वविद्यालय ने बताया (सितंबर 2018) कि शिक्षकों और वैज्ञानिकों को अच्छी गुणवत्ता के अनुसंधान पत्र प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, इसने छः से अधिक राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी की रेटिंग वाले अनुसंधान-पत्रों के प्रकाशन की संख्या के आधार पर शिक्षकों/वैज्ञानिकों के मूल्यांकन का प्रावधान किया है और इसे वार्षिक स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट में मानदंड के रूप में जोड़ा गया है।

2.1.7.5 हॉस्टलों में मूल सुविधाओं का अभाव

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के दिशानिर्देशों (सितंबर 2013) के अनुसार, हॉस्टल की इमारतों में पांच छात्रों के लिए एक वाटर क्लोजेट, चार छात्रों के लिए एक स्नानघर, दस छात्रों के लिए एक यूरिनल और आठ छात्रों के लिए एक वॉशबेसिन होना चाहिए। विश्वविद्यालय परिसर में लड़कों के लिए पांच हॉस्टल और लड़कियों के लिए सात हॉस्टल थे।

अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि त्रिवेणी हॉस्टल को छोड़कर लड़कों के चार हॉस्टलों और लड़कियों के तीन¹⁸ हॉस्टलों में वाटर क्लोजेट की कमी 6 प्रतिशत और 54 प्रतिशत के मध्य, लड़कियों के चार¹⁹ हॉस्टलों को छोड़कर सभी हॉस्टलों में स्नानघर की कमी 19 प्रतिशत और 63 प्रतिशत के मध्य, लड़कों के तीन²⁰ हॉस्टलों में यूरिनल्स की कमी 25 प्रतिशत और 48 प्रतिशत के मध्य और लड़कों के चार²¹ हॉस्टलों में वाशबेसिन की कमी 9 और 18 प्रतिशत के मध्य थी जैसा **परिशिष्ट 2.1** में दर्शाया गया है। इस प्रकार, हॉस्टलों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मानदंडों के संदर्भ में मूलभूत सुविधाओं का अभाव था।

¹⁷ (i) कृषि महाविद्यालय अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, हिसार (ii) कृषि महाविद्यालय, हिसार, (iii) मानवीय एवं मूलभूत विज्ञान, महाविद्यालय, हिसार तथा (iv) इंदिरा चक्रवर्ती गृह विज्ञान, महाविद्यालय, हिसार।

¹⁸ (i) गंगोत्री (नई शाखा), (ii) गंगोत्री (पुरानी शाखा) तथा (iii) गोदावरी।

¹⁹ (i) गंगोत्री (अतिरिक्त शाखा), (ii) महिला छात्रवृत्ति, (iii) यमनोत्री तथा (iv) नर्मदा।

²⁰ (i) वृंदावन, (ii) अजंता तथा (iii) विद्यांचल।

²¹ (i) वृंदावन, (ii) अजंता (iii) विद्यांचल तथा (iv) त्रिवेणी (आई.एन.एच.)।

2.1.7.6 हॉस्टलों का खराब रख-रखाव

विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों के लिए 12 हॉस्टल (लड़कों के लिए पांच और लड़कियों के लिए सात) हैं। मार्च 2018 में इन हॉस्टलों का विश्वविद्यालय के स्टाफ के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया। यह अवलोकित किया गया कि लड़कों के दो हॉस्टलों अर्थात् अजंता और विंध्याचल का रख-रखाव बहुत खराब था क्योंकि वहां बिजली के पैनल बोर्ड खुले हुए थे, चारों तरफ बिजली की फिटिंग लटकी हुई थी, बिना शीशे या टूटे हुए शीशे वाले वाँश बेसिन थे, टॉयलेट के फ्लश टूटे हुए थे और बाथरूम के दरवाजे एवं पार्टिशन टूटे हुए थे।



हिसार के हॉस्टलों में बाथरूमों के दरवाजे

इसी प्रकार, कौल के ब्रह्मसरोवर हॉस्टल (लड़कों का) में शौचालयों में अस्वच्छ स्थिति थी और सीवर निपटान प्रणाली उचित नहीं थी। हॉस्टल के चारों तरफ कचरा पड़ा हुआ था।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान विश्वविद्यालय ने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा हॉस्टलों की मरम्मत और नवीकरण के लिए ₹ तीन करोड़ की संस्वीकृति दी गई थी और इन मुद्दों को ध्यान में रखा जाएगा।

2.1.7.7 पुस्तकालयों का रख-रखाव/कार्यात्मक न होना

विश्वविद्यालय के अधीन तीन पुस्तकालय थे (विश्वविद्यालय परिसर, हिसार, कृषि महाविद्यालय, कौल और विस्तार शिक्षा संस्थान, नीलोखेड़ी प्रत्येक में एक-एक)। कृषि महाविद्यालय, कौल के अभिलेखों की संवीक्षा और संयुक्त भौतिक सत्यापन से प्रकट हुआ कि पुस्तकालय में इंटरनेट कनेक्शन एक वर्ष से अधिक समय से खराब था। रीडिंग हॉल में मरम्मत के बाद सीलिंग फैन (जनवरी 2017 से) नहीं लगाए गए थे। बुक बैंक में रोशनी की व्यवस्था उचित नहीं थी। इसी प्रकार, क्षेत्रीय निदेशक, विस्तार शिक्षा संस्थान, नीलोखेड़ी के कार्यालय में भी पुस्तकालय के लिए कर्मचारियों की कमी के कारण अगस्त 2008 से पुस्तकालय निष्क्रिय पड़ा था। विश्वविद्यालय परिसर, हिसार में पुस्तकालय का कामकाज संतोषजनक पाया गया।

प्रिंसीपल, कृषि महाविद्यालय, कौल ने बताया (फरवरी 2018) कि 150 सीलिंग फैन और 250 ट्यूबलाइट सेट की खरीद प्रक्रियाधीन थी। ब्रॉडबैंड सेवाओं की मरम्मत के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड के पास शिकायतें दर्ज की गई थी जबकि क्षेत्रीय निदेशक, विस्तार शिक्षा संस्थान, नीलोखेड़ी ने तथ्यों को स्वीकार किया।

2.1.7.8 अकार्यात्मक प्रयोगशालाएं

चयनित इकाइयों में मौजूद सभी 119 प्रयोगशालाओं का निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान परीक्षण किया गया था। नमूना-जांच किए गए दो क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशनों (करनाल और कौल) में 14 में से पांच प्रयोगशालाएं, नौ कृषि विज्ञान केंद्रों में आठ प्रयोगशालाओं में से दो प्रयोगशालाएं और हिसार में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कैंपस में 97 प्रयोगशालाओं में से एक (जैविक खाद्य

प्रयोगशाला) कुशल स्टाफ/मूलभूत संरचना की अनुपलब्धता के कारण अकार्यात्मक पड़ी थी। अकार्यात्मक प्रयोगशालाओं में से एक की विस्तृत रिपोर्ट निम्नानुसार है:

अकार्यात्मक टिशू कल्चर प्रयोगशाला

टिशू कल्चर प्रयोगशाला का उपयोग गन्ने की नई पहचानी गई/जारी किस्मों के त्वरित एवं रोगमुक्त बीज गुणन के लिए किया जाता है। पारंपरिक तरीकों का प्रयोग करके फसलों में बीज गुणन अनुपात 1:10 है, जबकि टिशू कल्चर के उपयोग से यह 1:10000 है। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन, करनाल में स्थित टिशू कल्चर प्रयोगशाला (1997 में स्थापित) नवंबर 2013 में विशेषज्ञ वैज्ञानिक के सेवानिवृत्त होने के बाद से बंद पड़ी हुई थी।



क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन, करनाल ने स्वीकार किया (दिसंबर 2017) कि वैज्ञानिक के सेवानिवृत्त होने के कारण, प्रयोगशाला अकार्यात्मक पड़ी थी और उन्होंने रिक्त पद को भरने के लिए कई प्रयास किए थे।

इस प्रयोगशाला के अकार्यात्मक होने के कारण गन्ने की नई पहचानी गई/जारी किस्मों के त्वरित एवं रोगमुक्त बीज गुणन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

2.1.7.9 हॉस्टलों में सुरक्षा प्रबंध - अक्रियाशील सी.सी.टी.वी. कैमरे

कृषि महाविद्यालय, कौल के संयुक्त निरीक्षण (फरवरी 2018) से प्रकट हुआ कि 45 सी.सी.टी.वी. कैमरों में से पुस्तकालय में (अंदर और बाहर) लगाए गए 14 कैमरे और कॉलेज में अन्य स्थानों पर नौ कैमरे खराब पाए गए थे। अभिलेखों की आगे की जांच से पता चला कि अप्रैल 2015 से पुस्तकालय में सी.सी.टी.वी. कैमरे क्रियाशील नहीं थे।

हिसार में विश्वविद्यालय परिसर में 12 हॉस्टलों में से, केवल तीन हॉस्टल अर्थात् गंगोत्री (नया विंग), गंगोत्री (पुराना विंग) और गंगोत्री (अतिरिक्त विंग) में ही अग्निशमनक/उपकरण उपलब्ध थे।

विश्वविद्यालय ने बताया (सितंबर 2018) कि सी.सी.टी.वी. कैमरों की मरम्मत करवाई जा रही है। जहां तक अग्निशमनकों की बात है, यह बताया गया कि ये उन हॉस्टलों में लगाए जाएंगे जहां ये उपलब्ध नहीं थे।


इस प्रकार, छात्रों का दाखिला कम था। छात्रावासों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव, छात्रावासों का खराब रख-रखाव, छात्रावासों में अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, पुस्तकालय सुविधाओं की कमी आदि छात्रों की शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

2.1.7.10 छात्रों का निष्पादन फीडबैक

विभिन्न मुद्दों पर छात्रों से फीडबैक लेने के लिए एवं उनकी शिकायतों के निवारण के लिए उचित तंत्र विकसित नहीं किया गया था। निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, 1,151 छात्रों में से, हिसार में स्थित नमूना-जांच किए गए दो²² कॉलेजों के 100 छात्रों के फीडबैक को उनकी संतुष्टि के स्तर का आकलन करने के लिए विश्वविद्यालय के अधिकारियों की उपस्थिति में प्रश्नावली विधि के माध्यम से लिया गया था। छात्रों को विभिन्न मापदंडों पर विश्वविद्यालय का मूल्यांकन करने के लिए कहा गया था। सर्वेक्षण के आंकड़ों के विश्लेषण को तालिका 2.8 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.8: विश्वविद्यालय की रेटिंग के लिए विभिन्न मापदंडों पर छात्रों का फीडबैक

गतिविधियां	सुविधाओं का मूल्यांकन करने वाले छात्रों का प्रतिशत				
	खराब	औसत	अच्छा	उत्कृष्ट	कोई टिप्पणी नहीं
संकाय	2	8	57	33	0
खाद्य	2	21	48	19	10
छात्रावास	3	21	42	20	14
छात्रावासों में स्वच्छता की स्थिति	12	24	36	24	4
पुस्तकालय	0	0	20	80	0
प्रयोगशाला	4	18	53	25	0
पूरा किया गया पाठ्यक्रम	2	8	55	35	0
अध्ययन विषयवस्तु	3	11	54	32	0
प्रशासनिक कर्मचारियों का व्यवहार	4	12	47	37	0
बचाव और सुरक्षा	4	6	44	46	0



²²

1. कृषि महाविद्यालय, हिसार; 2. आधारभूत विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय, हिसार।

छात्रवासों की स्वच्छता, प्रयोगशालाओं की सुविधाओं और छात्रावास सुविधाओं से क्रमशः 36, 22, 24 प्रतिशत छात्र संतुष्ट नहीं थे, जोकि अभिलेखों की नमूना-जांच/संयुक्त भौतिक निरीक्षण में भी सामने आए हैं।

2.1.8 अनुसंधान गतिविधियां

2.1.8.1 अनुसंधान परियोजनाएं

विश्वविद्यालय मुख्य परिसर हिसार में कृषि और संबद्ध विज्ञान के साथ-साथ राज्य के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में स्थित आउटरीच अनुसंधान स्टेशनों के क्षेत्र में बहु-विषयक अनुसंधान का कार्य कर रहा है। अनुसंधान गतिविधियों में मुख्य रूप से उच्च उपज वाली बीज किस्मों का विकास, प्रौद्योगिकियों में सुधार, पौधों की बीमारियों पर नियंत्रण इत्यादि शामिल हैं। नई कल्पना की गई/विकसित किस्मों का परीक्षण फ्रंट लाइन डेमोंस्ट्रेशन के माध्यम से किया जाता है। फ्रंट लाइन डेमोंस्ट्रेशन के माध्यम से वैज्ञानिकों द्वारा पहली बार किसानों को राज्य कृषि विभाग की विस्तार प्रणाली में अपनाए जाने से पहले तकनीक का डेमोंस्ट्रेशन किया जाता है।

2013-18 के दौरान चल रही, नई और पूर्ण किए गए अनुसंधान परियोजनाओं का विवरण तालिका 2.9 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.9: 2013-18 के दौरान चल रही परियोजनाओं और नई परियोजनाओं के विवरण

निधि देने वाली एजेंसी/प्राधिकारी	अप्रैल 2013 के प्रारंभ में चल रही परियोजनाएं	नई परियोजनाएं (2013-14 से 2017-18)	कुल
राज्य सरकार	70	2	72
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना) 75:25	44	0	44
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (एडहॉक)	16	38	54
कुल	130	40	170

(स्रोत: विश्वविद्यालय द्वारा आपूरित डाटा)।

उपर्युक्त परियोजनाओं पर व्यय का बड़ा हिस्सा वेतनों पर है और इन परियोजनाओं की पूर्णता तिथि का कोई लक्ष्य नहीं है।

अनुसंधान कार्यक्रम (गतिविधि) जो अन्य एजेंसियों²³ की निधियों से शुरू किए गए और जिनका पूर्णता तिथि का लक्ष्य था; उनका सार तालिका 2.10 में दिया गया है:

²³ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, मंत्रालय); विश्वविद्यालय अनुदान आयोग; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली; राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष विभाग, नई दिल्ली; हरियाणा राज्य बागवानी विकास एजेंसी, पंचकूला आदि।

तालिका 2.10: 2013-18 के दौरान चल रही परियोजनाएं, नई परियोजनाएं, पूर्ण की गई परियोजनाएं जिनकी निधियां अन्य एजेंसियों से आती हैं

निधि देने वाली एजेंसी/प्राधिकारी	अप्रैल 2013 के प्रारंभ में चल रही परियोजनाएं	नई परियोजनाएं (2013-14 से 2017-18)	कुल	पूर्ण परियोजनाएं (2013-14 से 2017-18)	मार्च 2018 की समाप्ति पर चल रही परियोजनाएं
अन्य	38	62	100	49	51

(स्रोत: विश्वविद्यालय द्वारा आपूरित डाटा)।

100 परियोजनाओं में से 49 पूर्ण कर दी गई थी। अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित प्रकट हुआ:

- केवल दो (1:2013-14 और 1:2015-16) अनुसंधान कार्यक्रम राज्य स्कीमों के अंतर्गत शुरू किए गए थे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-75:25) के मामले में गत नौ वर्षों से कोई नया अनुसंधान कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया।
- अन्य निधिदाता एजेंसियों से संबंधित 49 पूर्ण किए गए अनुसंधान कार्यक्रमों में से 26 अनुसंधान कार्यक्रम, निधियों की प्राप्ति न होने, निधियों की विलंबित प्राप्ति, भारत के बाहर से उपकरण की खरीद में लिए गए समय इत्यादि के कारण एक से नौ वर्षों के लिए विलंबित हो गए। चल रहे 51 अनुसंधान कार्यक्रमों में से, सात निधियों की अप्राप्ति/निधियों की विलंबित प्राप्ति के कारण निर्धारित समय से एक से दो वर्षों तक पीछे थे। विश्वविद्यालय ने बताया (जून 2018) कि परियोजनाओं को पूर्ण करने में देरी को निधिदाता एजेंसियों से वैध करवा लिया गया था। लेखापरीक्षा का विचार है कि अनुसंधान परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निर्धारित समय-सारणी का बेहतर निगरानी के माध्यम से पालन किया जाना चाहिए।

अन्य एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित 100 चालू/पूर्ण हुई परियोजनाओं में से 27 परियोजनाओं को विस्तृत जांच के लिए चुना गया था। लेखापरीक्षा ने 10 परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कमियों का अवलोकन किया जो नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	संक्षिप्त तथ्य	लेखापरीक्षा अवलोकन
1	बागवानी उपज परियोजना के लिए फसल पश्चात प्रबंधन तकनीक	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत ₹ 1.89 करोड़ के लिए भारत सरकार द्वारा परियोजना को संस्वीकृत (जून 2014) दी गई थी और यह परियोजना हिसार में तीन वर्षों (2014-17) की अवधि में कार्यान्वित की जानी थी। इसका उद्देश्य ग्लट से बचाव व उनके जीवन पर्यन्त भंडारण एवं वर्ष भर उपलब्धता के लिए शीत एवं नियंत्रित वातावरण के अधीन विभिन्न बागवानी फसल का मूल्यांकन करना था। परियोजना के अंतर्गत प्रयोगशाला को उन्नत किया जाना था और प्रथम वर्ष में मूलभूत संरचना की सुविधाएं सृजित की जानी थी। दूसरे वर्ष में, फलों, फूलों इत्यादि को उनके शेल्फ जीवन के विस्तार के लिए विभिन्न पैकेजिंग सामग्री का उपयोग करके शीत एवं नियंत्रित वातावरण परिस्थितियों में अलग-अलग तापमान पर स्टोर किया जाना था। तीसरे वर्ष में,	परियोजना प्रस्थापित करने से पहले कोई व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त मात्रा में फलों की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना मशीनरी खरीदी गई थी। इसके अतिरिक्त मूलभूत संरचना सुविधाएं जो प्रथम वर्ष अर्थात् 2014-15 में सृजित की जानी थी, उन्हें केवल 2018-19 के दौरान ही पूर्ण किया जा सका। परियोजना के तीसरे घटक अर्थात् किसानों और युवाओं को प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन अभी तक नहीं किया गया है। इस प्रकार, ₹ 1.89 करोड़ का व्यय करने के बाद भी वांछित लाभ अभीष्ट लाभार्थियों तक नहीं पहुंच सके।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	संक्षिप्त तथ्य	लेखापरीक्षा अवलोकन
		<p>प्रौद्योगिकी का डेमोंस्ट्रेशन किसानों के लिए किया जाना था और बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण के माध्यम से प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूक किया जाना था।</p> <p>2015-18 के दौरान मशीनरी, उपकरण और अन्य घटकों की खरीद के लिए निधिदाता एजेंसी द्वारा जारी ₹ 1.89 करोड़ (₹ 1.40 करोड़: दिसंबर 2014 और ₹ 0.49 करोड़: अक्टूबर 2015) पूर्ण रूप से उपयोग कर लिए गए थे। तथापि, स्थल के संयुक्त निरीक्षण (मई 2018) के दौरान यह पाया गया कि सभी उपकरण/मशीनरी अप्रयुक्त पड़े थे क्योंकि मशीनरी और उपकरण को क्रियात्मक बनाने के लिए अपेक्षित लोड का बिजली कनेक्शन नहीं था। तथापि, नई इलेक्ट्रिक/ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना का काम जून 2018 में पूरा हो गया था। ₹ 30 लाख की लागत से खरीदी गई (मई 2016) फलों की छंटाई और ग्रेडिंग करने की मशीन प्रयोग में नहीं लाई जा रही थी क्योंकि विश्वविद्यालय के प्रायोगिक बाग में फलों की उपलब्धता मशीन का इष्टतम उपयोग करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।</p>	
2	पौधों की बीमारियों और सूक्ष्मजीवी की पहचान, निदान और प्रलेखन	<p>राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत ₹ 5.75 करोड़ की राशि के लिए भारत सरकार द्वारा एक परियोजना को संस्वीकृति दी गई (जुलाई 2015) और 2017-18 तक परियोजना को पूर्ण किया जाना था। परियोजना का उद्देश्य पौधों की नई बीमारियों की पहचान एवं निदान द्वारा कृषिय फसल की औसत उत्पादकता में वृद्धि करना था। परियोजना के अंतर्गत दो प्रमुख उपकरण अर्थात् कन्फोकल माइक्रोस्कोप (मूल्य ₹ 3.50 करोड़) और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप (मूल्य ₹ 1.80 करोड़) खरीदे जाने थे।</p> <p>वित्तपोषक एजेंसी ने परियोजना के कार्यान्वयन के लिए चार किश्तों में ₹ 4.35 करोड़²⁴ की राशि जारी की परंतु विश्वविद्यालय उपकरण की खरीद पर केवल ₹ 12.49 लाख²⁵ की राशि का प्रयोग कर सका और ₹ 4.23 करोड़ की शेष राशि अप्रयुक्त पड़ी थी।</p> <p>एग्जिट कॉन्फ्रेंस (सितंबर 2018) के दौरान यह बताया गया कि उपकरण (इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप) के विनिर्देशनों को परिभाषित किया जा रहा था क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत महंगा पाया गया था और यह आश्वासन दिया गया कि परियोजना शीघ्र पूर्ण हो जाएगी।</p>	<p>यद्यपि दिसंबर 2017 तक ₹ 4.35 करोड़ प्राप्त हो गए थे, विश्वविद्यालय कन्फोकल माइक्रोस्कोप खरीदने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त, परियोजना की संस्वीकृति की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खरीद के लिए गुंजाइश को फिर से परिभाषित करना विश्वविद्यालय के उदासीन दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस प्रकार, परियोजना के कार्यान्वयन में देरी के परिणामस्वरूप निधियां अप्रयुक्त रही, साथ ही परियोजना के वांछित लाभ से किसान वंचित रहे।</p>

²⁴ दिसंबर 2015: ₹ 0.77 करोड़, मार्च 2016: ₹ 0.53 करोड़, जुलाई 2017: ₹ 0.58 करोड़ तथा दिसंबर 2017: ₹ 2.47 करोड़।

²⁵ ₹ 11.90 लाख (रेफ्रीजरेटर, लैमिनर फ्लो, पी.सी.आर एवं जैल डॉक) 2015-16 में तथा ₹ 0.59 लाख (पी.एच. मीटर) 2017-18 में।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	संक्षिप्त तथ्य	लेखापरीक्षा अवलोकन
3	उत्कृष्ट हरे चारे के लिए फसलों की वैज्ञानिक खेती के बारे में किसानों को ज्ञान का आधार	भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत ₹ 52 लाख की लागत पर परियोजना को स्वीकृति दी गई (जुलाई 2015) और 20 जिलों में कृषि विज्ञान केंद्रों में कार्यान्वित किया जाना था जिसमें 60 किसानों को प्रत्येक जिले में प्रशिक्षण प्रदान किया जाना था। परियोजना की सफलता के बारे में किसानों से आगे की फीडबैक दूसरे वर्ष (2016-17) में प्राप्त की जानी थी। प्रशिक्षण की व्यवस्था करने और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न वस्तुओं की खरीद पर ₹ 46.73 लाख का व्यय किया गया (2015-18)। 20 जिलों में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें प्रत्येक जिले से 60 किसानों ने भाग लिया।	विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के साथ लेखापरीक्षा पार्टी ने उन लाभार्थी किसानों का सर्वेक्षण किया, जिन्होंने पांच जिलों (कैथल, झज्जर, रोहतक, सदलपुर (हिसार) और पानीपत) में प्रशिक्षण लिया था। 300 किसानों में से, 171 किसानों से भौतिक रूप से संपर्क किया जा सका और 77 से टेलीफोन पर संपर्क किया गया और 52 किसानों से संपर्क नहीं किया जा सका। संपर्क किए गए सभी 248 किसानों ने बताया कि उन्होंने प्रशिक्षण लिया था और प्रशिक्षण उनके लिए फायदेमंद था। तथापि, विश्वविद्यालय के पास प्रशिक्षण के प्रभाव/परिणाम का आकलन करने के लिए अनुवर्ती तंत्र नहीं था और न ही उन्होंने किसानों से इस बात का फीडबैक प्राप्त किया था कि क्या उन्होंने नई तकनीक को अपनाया है। एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, यह बताया गया कि जब भी किसान, किसान विकास केंद्रों पर आते थे और जब भी वैज्ञानिक तो, उनके खेतों का दौरा करते थे उनसे नियमित रूप से फीडबैक लिया जा रहा था। तथापि, लेखापरीक्षा को इस तर्क के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था।
4	एंटीमोपाथोजेनिक फफूंद, बेवेरियाबैसियाना और लेनिकानिलियमलेकेनी के सामूहिक संवर्धन के लिए प्रयोगशाला की स्थापना और उसका रख-रखाव	परियोजना को भारत सरकार द्वारा कृषि विज्ञान केंद्रों के अंतर्गत ₹ 20.56 लाख की राशि के लिए स्वीकृति (जुलाई 2015) दी गई थी और इसे दो वर्षों (2016-17 तक) में पूरा किया जाना था। परियोजना के उद्देश्य प्रयोगशाला अवस्थाओं के अंतर्गत फफूंद संवर्धन का रख-रखाव, विभिन्न फसलों में लेपिडोपटरस और चूसने वाले कीट-पतंगों के विरुद्ध उसकी प्रभाविकता के मूल्यांकन और इस तकनीक के बारे में किसानों के मध्य जागरूकता पैदा करना था। इसके लिए, विद्यमान प्रयोगशाला का नवीकरण/पुनर्संरचना किया जाना अपेक्षित था और इसे प्रथम वर्ष (2015-16) में पूर्ण किया जाना था और फफूंद का सामूहिक संवर्धन द्वितीय वर्ष में शुरू किया जाना था। 2015-16 के दौरान ₹ 17.37 लाख की राशि जारी की गई थी। इसमें से 2015-17 के दौरान ₹ 13.03 लाख की राशि प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद पर व्यय की गई थी। ₹ 4.33 लाख की राशि एंटोमोलॉजी विभाग (कृषि महाविद्यालय, हिसार) द्वारा निधियों के जारी होने की तिथि से लगभग 15 माह की देरी के बाद प्रयोगशाला के नवीकरण के लिए विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग विंग को हस्तांतरित की गई (जनवरी 2017), जिसके परिणामस्वरूप कार्य को सितंबर	नवीकरण कार्य पूर्ण करने में देरी के परिणामस्वरूप परियोजना प्रारंभ करने में देरी हुई और किसानों को परियोजना के लाभ समय पर प्राप्त करने से वंचित रह गए।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	संक्षिप्त तथ्य	लेखापरीक्षा अवलोकन
		2018 में ही पूरा किया जा सका।	
5	जैविक खाद्य विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा परियोजना को एक वर्ष की समयावधि के साथ ₹ 3.76 करोड़ के लिए अनुमोदन दिया गया (मई 2010)। उत्पादकों को जैविक रूप से उगाई गई उपज का प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाना था जिसके लिए एन.ए.बी.एल. (नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज) की मान्यता अनिवार्य थी। जून 2015 में प्रयोगशाला को ₹ 3.76 करोड़ की लागत से विकसित किया गया था, जिसमें मशीनरी और उपकरण की लागत ₹ 3.27 करोड़ थी।	पर्याप्त/कुशल कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण, प्रयोगशाला को एन.ए.बी.एल. मान्यता नहीं मिल सकी और वह गैर-कार्यात्मक (मई 2018) बनी रही। किसानों को भी प्रयोगशाला से अपेक्षित लाभ नहीं मिल सका।
6	औषधीय पौधों के लिए सुविधा केंद्रों की स्थापना	राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने ₹ 30 लाख में औषधीय पौधों अर्थात् राज्य से औषधीय सुगंधित पौधों का चयन, टैक्सोनॉमिक पहचान और रासायनिक मापदंडों के आधार पर गुणवत्ता वाले कच्चे माल का प्रमाणीकरण, कुलीन रोगाणु की खेती के लिए सूचना के समाशोधन गृह के रूप में कार्य किया जाना चाहिए, किस्मों को लिया जाना चाहिए, स्रोत विभिन्न एजेंसियों द्वारा गुणवत्ता रोपण सामग्री के उत्पादन की देखरेख/निगरानी के लिए जर्म प्लाज़्म किस्मों आदि का उत्पादन, औषधीय पौधों की खेती और विकास की परियोजनाओं के निर्माण में प्रशिक्षण प्रदान करना, बार-बार क्रेता-विक्रेता से मिलना, प्रकाशित करना और स्थानीय भाषाओं में कृषि-तकनीक, बाजार, कीमतों, मंडियों, व्यापारियों, उद्योगों आदि के बारे में जानकारी का प्रसार करना इत्यादि से संबंधित सभी पहलुओं पर एकल विंडो सेवा प्रदान करने के विचार से औषधीय पौधों के लिए सुविधा केंद्रों की स्थापना के लिए अनुमोदन दिया (जनवरी 2008)। इस परियोजना को तीन सालों में लागू किया जाना था। निधिदाता एजेंसी द्वारा मार्च 2008 और फरवरी 2012 में क्रमशः ₹ 12.00 लाख और ₹ 9.25 लाख जारी किए गए। विश्वविद्यालय ने 2012-13 तक वेतन, उपकरण, प्रशिक्षण इत्यादि पर केवल ₹ 12.70 लाख उपयोग किए। विश्वविद्यालय ने तथापि, लेखापरीक्षा उपयोगिता प्रमाण-पत्र (ए.यू.सी.जे) वर्ष 2007-08 से 2010-11 के लिए सितंबर 2011 में और वर्ष 2011-12 के लिए सितंबर 2013 में भेज दिए।	परियोजना के कार्यान्वयन में धीमी गति और निधिदाता एजेंसी को लेखापरीक्षा उपयोगिता प्रमाणपत्र- भेजने में देरी के कारण, शेष राशि निधिदाता एजेंसी द्वारा जारी नहीं की गई थी। अंत में, निधिदाता एजेंसी ने और विस्तार नहीं दिया और अव्ययित निधि वापस मांगी (जुलाई 2014)। विश्वविद्यालय को शेष राशि ₹ 8.69 लाख (परियोजना से अन्य प्राप्तियां सहित) चुकानी पड़ी (अक्टूबर 2014)। इस प्रकार, परियोजना को बीच में ही बंद कर दिया गया और परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका।
7	हरियाणा के वर्षा पर आधारित क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए अत्यधिक ऊष्मा और सूखे के तनाव को कम करने के लिए काबुली चना जीनोटाइप का विकास	भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत ₹ 60 लाख की एक परियोजना को संस्वीकृति दी गई (जुलाई 2016) और इसकी अवधि तीन वर्ष (2016-17 से 2018-19) थी। पहले वर्ष के दौरान मॉर्फो-फिजियोलॉजिकल मानदंडों का प्रयोग करते हुए ऊष्मा और सूखा सहिष्णुता के लिए काबुली चना जीनोटाइप की स्क्रीनिंग, दूसरे वर्ष के दौरान	परियोजना रिपोर्ट के अनुरूप प्रथम वर्ष में शुरू करने की बजाय महाविद्यालय ने काबुली चना जीनोटाइप्स की स्क्रीनिंग की गतिविधियां द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में शुरू कीं। परियोजना के अन्य घटक जैसे हाईब्रिडाइजेशन के माध्यम से गर्मी एवं सूखा सहनशीलता के साथ उच्च उपज के साथ-साथ काबुली चना अच्छे साथ

क्र.सं.	परियोजना का नाम	संक्षिप्त तथ्य	लेखापरीक्षा अवलोकन
		<p>हाईब्रिडाइजेशन के माध्यम से गर्मी एवं सूखा सहनशीलता के साथ उच्च उपज के साथ-साथ अच्छे काबुली चना जीनोटाइप्स का विकास और तीसरे वर्ष के दौरान मॉर्फो-फिजियोलॉजिकल मानदंडों का प्रयोग करते हुए अच्छे काबुली चना जीनोटाइप्स का चयन एवं मूल्यांकन किया जाना था और अंत में किसानों के खेतों में नए काबुली चने की खेती का प्रचार एवं डेमोस्ट्रेशन किया जाना था।</p> <p>नवंबर 2016 और मार्च 2017 के दौरान कृषि महाविद्यालय, हिसार को ₹ 55.39 लाख की राशि जारी की गई थी। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि महाविद्यालय प्रथम वर्ष अर्थात् 2016-17 में निधियों का उपयोग करने में विफल रहा। 2017-18 के दौरान विश्वविद्यालय उपकरणों, रसायनों की खरीद, ठेके की सेवाओं इत्यादि पर केवल ₹ 32.64 लाख का उपयोग कर सका।</p>	<p>विकास जीनोटाइप्स का मॉर्फो फिजियोलॉजिकल मानदंडों का प्रयोग करते हुए अच्छे जीनोटाइप्स का चयन एवं मूल्यांकन, किसानों के खेतों में नए काबुली चने की खेती का प्रचार एवं डेमोस्ट्रेशन अभी शुरू नहीं किया गया था।</p>
8	मत्स्य के स्वास्थ्य प्रबंधन के माध्यम से हर्बल सामग्री और स्थाई एक्वाकल्चर के लिए वर्मी तकनीक	<p>विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा ₹ 26.53 लाख के लिए योजना को स्वीकृति दी गई थी (दिसंबर 2012)। परियोजना को 36 माह में पूरा किया जाना था। परियोजना का उद्देश्य हरियाणा में आमतौर पर उपलब्ध कुछ औषधीय पौधों की प्रभावकारिता की स्क्रीनिंग और मूल्यांकन करना था, ताकि उन्हें रसायनों/ एंटीबायोटिक दवाओं के संभावित विकल्प के रूप में उपयोग किया जा सके; हरियाणा में आमतौर पर पाए जाने वाले केंचुआ प्रजातियों के पेस्ट के एंटी-ऑक्सीडेंटिव गुणों की जांच और मूल्यांकन करना था।</p> <p>परियोजना के निष्पादन के लिए पहली किस्त के रूप में ₹ 14.99 लाख की राशि जारी की गई (दिसंबर 2012) थी और 2012-13 से 2016-17 के दौरान योजना के कार्यान्वयन पर ₹ 13.54 लाख खर्च किए गए थे।</p>	<p>स्कीम के धीमे कार्यान्वयन के कारण भारत सरकार द्वारा आगे कोई धनराशि जारी नहीं की गई थी। इस योजना को बंद कर दिया गया था और मई 2017 में ₹ 1.45 लाख की शेष राशि वित्त पोषण एजेंसी को वापस कर दी गई थी। इस प्रकार, इस योजना को ठीक से लागू नहीं किया गया और योजना के उद्देश्य अप्राप्त रहे।</p>
9	किसानों के खेतों में शुष्क भूमि प्रौद्योगिकियों का डेमोस्ट्रेशन एवं अनुकूलन	<p>शुष्क भूमि क्षेत्रों में ग्रामीण आजीविका को बनाए रखने और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत खाद्यान्न उत्पादन पठार को समाप्त करने के लिए परियोजना को ₹ 16.25 लाख के लिए स्वीकृति दी गई (अगस्त 2013)। परियोजना की अवधि तीन वर्ष अर्थात् 2013-14 से 2015-16 थी। प्रत्येक फसली सीजन में कुल 350 किसानों को मोती बाजरा, मूंगबीन, चना और सरसों के लिए कवर किया जाना था। शुष्क भूमि के अनुकूल इन सभी फसलों के उच्च उपज किस्म (एच.वाई.वी.) बीज प्रदान किए जाने थे।</p> <p>परियोजना के निष्पादन के लिए पहली किस्त के रूप में ₹ 8.13 लाख की राशि आबंटित की गई (अक्टूबर</p>	<p>तीन वर्षों में 1,050 किसानों को कवर करने के लक्ष्य के विरुद्ध इस अवधि के दौरान केवल 173 किसानों को कवर किया गया था। इसके अतिरिक्त, परियोजना के परिणाम का आकलन करने के लिए कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि कोई डाटा एकत्र नहीं किया गया था कि क्या किसानों ने शुष्क खेती की तकनीक को अपनाया था।</p>

क्र.सं.	परियोजना का नाम	संक्षिप्त तथ्य	लेखापरीक्षा अवलोकन
		2013) और यह राशि 2013-14 से 2016-17 के दौरान व्यय ²⁶ की गई	
10	मधुमक्खी परियोजना	<p>भारत सरकार ने ₹ 34 लाख के लिए राष्ट्रीय बागवानी अभियान के अंतर्गत "उत्पादन प्रौद्योगिकी और बागवानी फसलों की गुणवत्ता सुधारने में मधुमक्खी की भूमिका पर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण" एक चार वर्षीय परियोजना को स्वीकृति दी (नवंबर 2009)। परियोजना का अपेक्षित उत्पादन वाणिज्यिक परागणकों की बिक्री और किसानों के लिए लाभकारी रोजगार पैदा करना था। हरियाणा राज्य बागवानी विभाग एजेंसी द्वारा ₹ 34 लाख की राशि प्रदान की गई (दिसंबर 2009)।</p> <p>2010-11 से 2014-15 के दौरान ₹ 6.12 लाख का व्यय मुख्य रूप से किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करने पर किया गया था।</p>	<p>परियोजना को सही तरीके से लागू नहीं किया जा सका और क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, करनाल में कीट वैज्ञानिकों की कमी के कारण वाणिज्यिक परागण नहीं किया जा सका। मार्च 2015 के बाद इस परियोजना के लिए कोई अतिरिक्त कीटविज्ञानी तैनात नहीं किया गया था। 2014-15 के बाद कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया। चूंकि निधियां विश्वविद्यालय के पास अव्ययित पड़ी थी, इसलिए निधिदाता एजेंसी ने अगस्त 2015 में ₹ 27.88 लाख के अव्ययित शेष की वापसी की मांग की। इस प्रकार, स्कीम समुचित ढंग से कार्यान्वित नहीं की गई और मधुमक्खी के वाणिज्यिक परागण के माध्यम से रोजगार सृजन के स्कीम के उद्देश्य काफी हद तक अप्राप्त रहे।</p>

नमूना-जांच की गई 27 अनुसंधान परियोजनाओं में से पांच परियोजनाएं चल रही थीं और 12 परियोजनाएं पूरी हो गई थीं। किसानों को अनुसंधान परिणामों के प्रसार के लिए विश्वविद्यालय में कोई औपचारिक प्रणाली नहीं बनाई गई थी। अनुसंधान के परिणाम वित्तपोषित एजेंसी को प्रस्तुत किए गए थे। यह सुनिश्चित करने के लिए कोई आडिट ट्रेल नहीं था कि क्या नमूना-जांच की गई अनुसंधान परियोजनाओं के परिणामों को इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचाया गया था। परिणामस्वरूप, पूर्ण हुए अनुसंधान कार्यों के परिणाम को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किए जा सके।

शेष 10 परियोजनाओं में से चार परियोजनाएं अपूर्ण रहीं, एक को असामान्य देरी के बाद पूरा किया गया, तीन को छोड़ दिया गया और दो परियोजनाओं के प्रभाव का विश्वविद्यालय द्वारा मूल्यांकन नहीं किया गया। इस प्रकार, किसानों और बेरोजगार युवाओं को उन्नत कृषि तकनीकों/प्रथाओं और फसल के पश्चात प्रबंधन को अपनाने के लिए संवेदनशील बनाने के उद्देश्यों को पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सका।

चूंकि नमूना-जांच की गई परियोजनाओं में से सात परियोजनाओं (26 प्रतिशत) को या तो छोड़ दिया गया था या पूरा नहीं किया गया था, यह सिफारिश की जाती है कि विश्वविद्यालय इच्छित परिणामों को प्राप्त करने के लिए सभी चल रही अनुसंधान परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर सकता है।

2.1.8.2 शुष्क भूमि विभाग द्वारा शुष्क भूमि के लिए फसल की किस्मों का जारी न होना

शुष्क भूमि कृषि पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना को 1971 के दौरान शुरू किया गया, ताकि शुष्क भूमि खेती के लिए उपयुक्त तकनीकों का सृजन करके कृषक समुदाय की

²⁶ 2013-14: ₹ 4.70 लाख, 2014-15: ₹1.17 लाख, 2015-16: ₹ 0.98 लाख तथा 2016-17: ₹ 1.28 लाख।

आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में उच्च उपज क्षमता के साथ उपयुक्त फसल किस्मों का विकास किया जा सके।

1976-77 से 2017-18 के दौरान शुष्क भूमि विभाग की स्थापना और आकस्मिकताओं पर ₹ 20.57 करोड़ का व्यय किया गया था (1971-72 से 1975-76 की अवधि के लिए व्यय विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध नहीं था)। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार बहुत पहले 1983 और 1987 में परियोजना के अंतर्गत केवल दो फसलों की किस्में जारी की गई थी:

फसल	किस्म	जारी वर्ष
मूंगबीन	एस-9	1983
लोबिया	छरोड़ी	1987

विश्वविद्यालय ने (जून 2019) बताया कि वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा उपर्युक्त किस्मों के बीजों का उत्पादन नहीं किया जा रहा है क्योंकि अधिक उपज देने वाली किस्मों की उपलब्धता के कारण ये किस्में अब लोकप्रिय नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय के पास बीजों को जारी करने के समय, उन्हें अपनाने के स्तर का अभिलेख नहीं है।

1987 के बाद विभाग द्वारा शुष्क भूमि के लिए कोई नई फसल किस्म जारी नहीं की गई। विभाग मुख्य रूप से किसानों के बीच शुष्क भूमि खेती के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और शुष्क भूमि खेती पर अनुसंधान गतिविधियों में लगा हुआ था। शुष्क भूमि कृषि के लिए परियोजना समन्वयक, अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना ने भी जुलाई 2016 में हिसार केंद्र में अपने दौरे के दौरान इंगित किया कि तकनीकी कार्यक्रम का कार्यान्वयन उद्देश्य के अनुसार नहीं किया जा रहा था और विषय-वार/प्रयोग-वार डाटा रिकार्ड नहीं किया जा रहा था। साध्य प्रौद्योगिकियों के प्रभाव का दस्तावेज बनाने और मुख्य केंद्र को प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, परिष्कार और फीडबैक की अवधि और समय पर जानकारी उपलब्ध कराना अनुरक्षित नहीं किया गया था। उनकी सिफारिशों के बावजूद परियोजना के कार्यान्वयन में कोई सुधार नहीं हुआ और कोई नई किस्म विकसित नहीं की गई। इस प्रकार, विभाग का कार्य संतोषजनक नहीं था और फलदायक परिणाम नहीं दे रहा था।

चूंकि विभाग पर ₹ 20.57 करोड़ का भारी व्यय निष्फल रहा, इसलिए विश्वविद्यालय विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा कर सकता है।

2.1.8.3 बौद्धिक संपदा अधिकार

कोई भी संस्थान जो अनुसंधान गतिविधियों में संलग्न है, उसे अपने नवाचारों/आविष्कारों/ अनुसंधान उत्पादों पर बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और अधिकारों को पंजीकृत करवाना चाहिए। विश्वविद्यालय ने अपने बौद्धिक संपदा अधिकार मामलों के पालन के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए (दिसंबर 2002)। यह 2007 और 2013 में पांच साल की अवधि के लिए दो बार नवीनीकृत किया गया था। 1970 में अपनी स्थापना के समय से ही विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकियों का विकास करता रहा है। तथापि, प्रौद्योगिकियों को पेटेंट कराने के लिए विश्वविद्यालय ने 2003

से आवेदन करना आरंभ किया। दर्ज किए गए बौद्धिक संपदा अधिकार मामलों और प्राप्त अधिकारों का विवरण तालिका 2.11 में दिया गया है।

तालिका 2.11: दर्ज किए गए बौद्धिक संपदा अधिकार मामलों और प्राप्त अधिकारों के विवरण

(प्रौद्योगिकियों की संख्या)

अवधि	फाईल किए गए बौद्धिक संपदा अधिकार मामले	प्राप्त अधिकार			मना किए गए	प्रक्रिया में
		पेटेंट अधिकार	कॉपी राईट	डिजाइन राईट		
2002-07	11	1	1	1	1	7
2008-13	31	7	0	0	3	21
2014-18	14	3	0	0	0	11
कुल	56	11	1	1	4	39

(स्रोत: विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया डाटा)

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि मार्च 2018 तक विश्वविद्यालय ने बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए 56 प्रौद्योगिकियों की पहचान की, जिनमें से केवल 13²⁷ प्रौद्योगिकियों के संबंध में बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त किए गए थे और चार प्रौद्योगिकियों को अधिकारों के लिए मना कर दिया गया था। बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए आवेदनों की लंबनता 2007 में सात से बढ़कर 2013 में 28 और आगे 31 मार्च 2018 को 39 तक हो गई। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम द्वारा अकुशल एवं अपर्याप्त अनुसरण के बावजूद विश्वविद्यालय ने 2013 में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के साथ पांच वर्षों की एक और अवधि के लिए समझौता ज्ञापन का नवीकरण कर दिया। इन 13 बौद्धिक संपदा अधिकारों में से तीन बौद्धिक संपदा अधिकार प्रौद्योगिकियों (डिजाइन संख्या-194255- इंडियन गूज़बेरी प्रिकिंग मशीन तथा पेटेंट संख्या-250500- दूध में यूरिया की जांच करने की प्रक्रिया) के संबंध में केवल तीन लाइसेंस समझौतों पर वाणिज्यिक उपयोग के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। बौद्धिक संपदा अधिकार प्रौद्योगिकियों को वेबसाइट पर डालने के अलावा, इन प्रौद्योगिकियों को व्यावसायिक उपयोग के लिए प्रचारित करने के लिए कोई और प्रयास नहीं किए गए थे। पेटेंट और डिजाइन नियंत्रक कार्यालय, नई दिल्ली के अभिलेखों की आगे की जांच ने प्रकट किया कि विश्वविद्यालय द्वारा नवीकरण राशि का भुगतान नहीं करने के कारण 10 पेटेंट समाप्त हो गए थे। समाप्त हुए पेटेंट को बहाल करने की अधिकतम अवधि 18 महीने थी जो इन मामलों में भी समाप्त हो गई थी।

निदेशक, एच.आर.एम. ने बताया (सितंबर 2018) कि पेटेंट प्रदान करना एक समय लेने वाली प्रक्रिया है क्योंकि यह पेटेंट कार्यालय द्वारा नवाचार के प्रकार, उपयोग की गई सामग्री और सुनवाई/आपत्तियों पर निर्भर करता है। विश्वविद्यालय ने फरवरी 2017 में बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित गतिविधियों को तेज करने के लिए एक वकील की सेवाएं लीं।

विश्वविद्यालय को जुलाई 2014 के बाद कोई बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। यहां तक कि उन प्रौद्योगिकियों के संबंध में जिनके लिए विश्वविद्यालय ने अधिकार प्राप्त किए थे, उन प्रौद्योगिकियों को व्यावसायिक उपयोग के लिए प्रचारित करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए थे। इस प्रकार, विश्वविद्यालय के हितों को पर्याप्त रूप से संरक्षित नहीं किया गया था।

²⁷ कॉपीराइट - एक, डिजाइन - एक और पेटेंट - 11 (10 - भारत, एक - श्रीलंका)।

2.1.9 बीज उत्पादन कार्यक्रम

2.1.9.1 राम धन सिंह बीज फार्म

राम धन सिंह बीज फार्म की स्थापना प्रमुख खाद्य पदार्थों, चारे, दालों और सब्जियों के गुणवत्ता पूर्ण बीजों को विकसित करने और बागवानी के लिए गुणवत्ता पूर्ण रोपण सामग्री और बीज उत्पादन को एक उद्यम के रूप में लेने के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।

(i) जल वितरण नेटवर्क के पूरा न होने के कारण खेती योग्य भूमि का उपयोग न होना एवं फसलों की विफलता

2013-14 से 2017-18 के दौरान राम धन सिंह बीज फार्म के पास उपलब्ध 3,104 एकड़ कृषि योग्य भूमि में से फार्म, खरीफ और रबी फसलों के दौरान क्रमशः 1,373 एकड़ (44 प्रतिशत) और 1,555 एकड़ (50 प्रतिशत) भूमि की औसत बुवाई कर सका। उपलब्ध कुल भूमि में से 360 एकड़ भूमि सिंचाई सुविधा की कमी के कारण पूर्णतया अविकसित रह गई। इसके अतिरिक्त, यह भी अवलोकित किया गया कि कृषि किए गए क्षेत्र के 10.98 और 69.60 प्रतिशत की सीमा के मध्य क्षेत्रों में खरीफ फसलें विफल रही जबकि रबी फसलों के मामले में फसलों की विफलता उपर्युक्त अवधि के दौरान बोल गए कुल क्षेत्र के 9.03 और 24.36 प्रतिशत की सीमा के मध्य रही। विश्वविद्यालय ने बताया (मार्च 2018) कि कृषि योग्य भूमि का बड़ा हिस्सा वर्षा से पूरित होता है और सिंचाई सुविधाओं का अभाव होता है। यह भी बताया गया कि सिंचाई के लिए पानी की कमी से फसलें खराब हो गईं। तथापि, विश्वविद्यालय निधियों की उपलब्धता के बावजूद जल वितरण नेटवर्क विकसित करने में विफल रहा जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत दो वर्षों के भीतर पूर्ण की जाने वाली एक परियोजना "राम धन सिंह बीज फार्म में मूलभूत संरचना विकास और उत्पादन वृद्धि" को ₹ 7.85 करोड़ की स्वीकृति दी (जून 2014)। परियोजना का उद्देश्य राज्य के किसानों द्वारा गुणवत्ता वाले बीज और रोपण सामग्री की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करना था। परियोजना के अंतर्गत तालाबों का निर्माण किया जाना था, सिंचाई के लिए पाइपों के माध्यम से पानी की व्यवस्था की जानी थी, बीज परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जानी थी और बीज भंडारण गोदामों का निर्माण किया जाना था। 2014-16 के दौरान विश्वविद्यालय को ₹ 6.85 करोड़ जारी किए गए। इसमें से ₹ 3.25 करोड़ की निधियां विश्वविद्यालय की इंजीनियरिंग इकाई को लगभग दो साल (अगस्त 2017) की देरी के बाद सिंचाई के लिए पाइप वाटर कन्वेक्शन सिस्टम लगाने के लिए हस्तांतरित की गईं। विश्वविद्यालय ने अभी तक इस कार्य के क्षेत्र को अंतिम रूप नहीं दिया था। विश्वविद्यालय द्वारा यह बताया गया कि सिंचाई विभाग ने नहर के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू कर दिया था (अगस्त 2018) और जिसके पूरा होने पर आंतरिक पाइप लाइन जल संचयन प्रणाली का काम शुरू किया जाएगा। जल संरचना प्रणाली संबंधित माइनर में उपलब्ध सिंचाई जल के इष्टतम उपयोग के लिए विकसित की जाती है जो आंतरिक संरचनाएं हैं। विश्वविद्यालय को आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली के निर्माण के लिए जारी निधियों का उपयोग करना चाहिए था। विश्वविद्यालय के उदासीन दृष्टिकोण से न केवल कृषि

योग्य भूमि के कम उपयोग और फसलों की विफलता हुई अपितु इसके परिणामस्वरूप तीन वर्षों से अधिक की अवधि के लिए निधियों का अवरोधन भी हुआ।

(ii) गैर-बीजों के रूप में बीजों की बिक्री के कारण हानि

फार्म में उत्पादित बीज हरियाणा बीज विकास निगम, कृषक भारती सहकारिता लिमिटेड (कृभको), हरियाणा राज्य सहकारिता एवं विपणन महासंघ लिमिटेड इत्यादि और किसानों को बेचे जाते हैं। बचे हुए/बिना बिके हुए बीज के स्टॉक को अगले सीजन में बीज के रूप में बिक्री के लिए बीज प्रमाणीकरण एजेंसियों द्वारा पुनः वैध करवाया जाता है और आखिरकार सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से बिना बिके हुए बीजों को रियायती दरों पर गैर-बीज के रूप में बेचा जाता है। 2013-17 के दौरान उत्पादित 36,614.99 क्विंटल बीज में से फार्म 33,583.84 क्विंटल बीज (92 प्रतिशत) बेच सका। 3,031.15 क्विंटल (आठ प्रतिशत) बीज रियायती दरों²⁸ पर गैर-बीज के रूप में बेचे गए जिससे ₹ 75.39 लाख की हानि हुई।

नमूना लिए गए नौ जिलों में से रैंडम से चुने गए 108 किसानों के सर्वेक्षण के दौरान यह अवलोकित किया गया कि केवल 31 किसानों ने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के बीज (रबी) खरीदे और 84²⁹ किसानों (78 प्रतिशत) जिनमें वे किसान भी सम्मिलित थे, जिन्होंने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के बीजों को खरीदा था, ने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के बीजों के न खरीदने के कारणों में अनुपलब्धता/कम आपूर्ति/आपूर्ति में देरी/बीजों की उपलब्धता दूर के स्थानों पर होना बताई। इसके अतिरिक्त, 101 किसानों (94 प्रतिशत) ने बताया कि वे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा उत्पादित बीजों को खरीदने के लिए तैयार थे यदि इनकी आपूर्ति क्षेत्रीय केंद्रों/कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से हो। इसलिए, यह स्पष्ट है कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के बीज की बाजार में मांग है जिसका समुचित रूप से प्रयोग नहीं किया गया। गुणवत्ता वाले बीजों की मांग के आकलन के लिए विश्वविद्यालय ने कोई यंत्रावली विकसित नहीं की थी। लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र में बिक्री का स्थान/दुकानें नहीं थी। एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विश्वविद्यालय ने आश्वासन दिया कि भविष्य में और दुकानें खोलकर बीज बेचने के प्रयास किए जाएंगे।

2.1.9.2 प्रजनक बीज की आपूर्ति में कमी

विश्वविद्यालय का बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग सार्वजनिक एवं निजी बीज क्षेत्रों के लिए भारत सरकार से प्राप्त मांग के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों की फसलों/किस्मों के बीजों का उत्पादन कर रहा है।

²⁸ 2013-14 के लिए गेहूँ-बीज दर ₹ 2,400 से ₹ 3,300 प्रति क्विंटल के मध्य, गैर-बीज दर ₹ 1,650 से ₹ 2,200 प्रति क्विंटल के मध्य।

राया-बीज दर ₹ 4,800 प्रति क्विंटल, गैर-बीज दर ₹ 3,200 प्रति क्विंटल।

चना-बीज दर ₹ 6,800 प्रति क्विंटल, गैर-बीज दर ₹ 3,800 प्रति क्विंटल।

जौ-बीज दर ₹ 1,900 प्रति क्विंटल, गैर-बीज दर ₹ 1,100 प्रति क्विंटल।

²⁹ गैर-उपलब्धता/कम आपूर्ति: 18 किसान, विलंबित आपूर्ति: एक किसान और दूर स्थानों पर बीज की उपलब्धता: 65 किसान।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि विभिन्न फसलों³⁰ के प्रजनक बीज की आपूर्ति में कमी थी जैसा कि तालिका 2.12 में विवरण दिया गया है:

तालिका 2.12: विभिन्न फसलों के प्रजनक बीज की आपूर्ति में कमी के विवरण

वर्ष	मांग (क्विंटल)	उत्पादन (क्विंटल)	कमी (क्विंटल)	कमी की प्रतिशतता
2013-14	386.22	199.34	186.88	48.39
2014-15	629.61	386.95	242.66	38.54
2015-16	879.49	1,109.21	-229.72	-
2016-17	1,203.60	1,021.44	182.16	15.13
2017-18	1,143.70	1,111.20	32.50	2.84
कुल	4,242.62	3,828.14	414.48	9.77

(स्रोत: विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया डाटा)

जैसा कि स्पष्ट है, 4,242.62 क्विंटल प्रजनक बीज की मांग के विरुद्ध 3,828.14 क्विंटल का उत्पादन था जिससे 414.48 क्विंटल की कमी रह गई। फसलों की 23 किस्मों में कमी की सीमा 11 और 83 प्रतिशत के मध्य रही (परिशिष्ट 2.2)।

विश्वविद्यालय ने बताया (जून 2018) कि खराब मौसम की वजह से प्रजनक बीज के उत्पादन में कमी थी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि 2013-18 की अवधि के लिए मौसम संबंधी आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम/अधिकतम तापमान में कोई व्यापक भिन्नता नहीं थी, जिससे बीज उत्पादन प्रभावित हो सकता था। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय ने उस विशिष्ट अवधि का उल्लेख नहीं किया है जिस दौरान खराब मौसम के कारण प्रजनक बीज उत्पादन में बाधा उत्पन्न हुई थी। विश्वविद्यालय के पास कमी को दूर करने के लिए नियंत्रित मौसम की स्थिति में बीज उगाने का कोई प्रस्ताव नहीं था।

इस प्रकार, बीज उत्पादन कार्यक्रम जल वितरण नेटवर्क के पूरा न होने, गैर-बीज के रूप में बीज की बिक्री और ब्रीडर बीज की आपूर्ति में कमी के कारण बाधित हुआ। इसने किसानों के बीच नई बीज किस्मों के प्रचार करने के उद्देश्य को प्रभावित किया।

2.1.10 विस्तार गतिविधियां

कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा विस्तार गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। प्रौद्योगिकी सृजन और इसको अपनाने के मध्य समय अंतराल को कम किया जा सके। कृषि विज्ञान केंद्र का मुख्य कार्य राज्य कृषि विभागों के विस्तार कार्मिकों के साथ-साथ किसानों को नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों का डेमोंस्ट्रेशन करना है। कृषि विज्ञान केंद्र अभ्यासरत किसानों/कृषक महिलाओं, ग्रामीण युवाओं और क्षेत्र स्तर के विस्तार अधिकारियों को भी प्रशिक्षण देते हैं। सभी कृषि विज्ञान केंद्रों ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के दिशानिर्देशों के अनुसार वैज्ञानिक सलाहकार समिति का गठन किया है जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, जिले के विकास विभागों के, प्रगतिशील किसान और खेतों में काम करने वाली महिलाएं और अन्य विशेष आमंत्रित प्रतिनिधि शामिल हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों की अनिवार्य गतिविधियों को और अधिक नियोजित और वैज्ञानिक ढंग से करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और समर्थन प्राप्त करने के

³⁰ गेहूं, ग्वार, मूंग, ज्वार, चना और जौ।

लिए वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं। प्रति वर्ष दो बैठकें आयोजित की जानी आवश्यक हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि कृषि विज्ञान केंद्र नियमित अंतराल पर वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठकें आयोजित करते रहे हैं और बैठकों की सिफारिशों और विचार-विमर्श का अनुपालन कर रहे हैं। 14 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रायोजित में से सात³¹ और पांच राज्य प्रायोजित कृषि विज्ञान केंद्रों में से दो³² के अभिलेखों की नमूना-जांच की गई, जिनके लेखापरीक्षा परिणाम नीचे दिए गए हैं:

2.1.10.1 कृषि योग्य भूमि का उपयोग न होना

नमूना-जांच किए गए नौ कृषि विज्ञान केंद्रों में से पांच³³ कृषि विज्ञान केंद्रों में कृषि योग्य भूमि का कम उपयोग किया गया था। खरीफ के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र, पांडु पिंडारा (जींद) और कृषि विज्ञान केंद्र, रोहतक में केवल हरी खाद तैयार की गई थी। कृषि विज्ञान केंद्र, सादलपुर (हिसार) में 13 एकड़ भूमि का विकास नहीं हुआ था और यह वन कवर के अधीन थी जबकि कृषि विज्ञान केंद्र, अंबाला में आठ एकड़ चार कनाल 14 मरला भूमि सफेदा वृक्षारोपण के अधीन थी। विवरण तालिका 2.13 में दिए गए हैं:

तालिका 2.13: कृषि योग्य भूमि का अनुपयोग दर्शाने वाले विवरण

क्र. सं.	कृषि विज्ञान केंद्र का नाम	कृषि योग्य भूमि (एकड़)	खरीफ			रबी		
			कृषि की गई औसत भूमि (एकड़)	कृषि के बिना रह गई औसत भूमि (एकड़)	कृषि के बिना रह गई भूमि की प्रतिशतता	कृषि की गई औसत भूमि (एकड़)	कृषि के बिना रह गई औसत भूमि (एकड़)	कृषि के बिना रह गई भूमि की प्रतिशतता
1	पांडु पिंडारा (जींद)	33.50	0.00	33.50	100	15.05	18.45	55
2	रोहतक	43.60	0.00	43.60	100	35.10	8.50	19
3	सादलपुर (हिसार)	32.00	10.80	21.20	66	21.10	10.90	34
4	झज्जर	22.00	9.97	12.03	55	12.31	9.69	44
5	अंबाला	19.00	0.00	19.00	100	17.88	1.12	6

(स्रोत: विश्वविद्यालय के अभिलेखों से संकलित डाटा)

विश्वविद्यालय ने भूमि के कम उपयोग के लिए सिंचाई हेतु भूमिगत जल की गैर-उपयुक्तता और नहर सिंचाई की अनुपलब्धता/अपर्याप्त उपलब्धता को भी जिम्मेदार ठहराया (सितंबर 2018)। इस प्रकार, विश्वविद्यालय इन कृषि विज्ञान केंद्रों के प्रतिस्थापन के 15 वर्षों से अधिक होने के बाद भी सिंचाई सुविधाओं को विकसित करने में विफल रहा।

कृषि प्रयोजन के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमि का विकास न करने से किसानों के साथ राज्य कृषि विभागों के विस्तार कार्यकर्ताओं को नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने के लिए विस्तार गतिविधियों को प्रभावित किया।

³¹ (i) फतेहाबाद, (ii) झज्जर, (iii) पांडु पिंडारा (जींद), (iv) कैथल, (v) ऊझा (पानीपत), (vi) रोहतक तथा (vii) सादलपुर (हिसार)।

³² (i) अंबाला तथा (ii) करनाल।

³³ (i) अंबाला, (ii) बावल, (iii) करनाल, (iv) मंडखोला (पलवल) तथा (v) पंचकूला।

2.1.10.2 फ्रंट लाइन डेमोंस्ट्रेशन

फ्रंट लाइन डेमोंस्ट्रेशन अस्सी के दशक के दौरान तिलहन फसलों पर प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत के साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित क्षेत्र डेमोंस्ट्रेशन हैं। क्षेत्र डेमोंस्ट्रेशन राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के वैज्ञानिकों की करीबी देखरेख में किए जाते हैं और पहली बार वैज्ञानिकों द्वारा स्वयं कृषि विभाग के राज्य के मुख्य विस्तार प्रणाली में मिलाए जाने से पहले प्रदर्शित किए जाते हैं। फ्रंट लाइन डेमोंस्ट्रेशन का उद्देश्य विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों और खेती की स्थितियों के अंतर्गत किसानों के खेत में नई जारी फसल उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकियों और प्रबंधन प्रथाओं का डेमोंस्ट्रेशन करना है।

चयनित डेमोंस्ट्रेशन ब्लॉक में भूमि जोत का एक समूह, जो डेमोंस्ट्रेशन के संचालन में सहयोग करने के इच्छुक हैं, का चयन गांवों में एक बैठक आयोजित करके किया जाता है। कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा फ्रंट लाइन डेमोंस्ट्रेशन के लिए कोई विशेष वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। तथापि, 2013-18 के दौरान चयनित कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा कुल 7,336 फ्रंट लाइन डेमोंस्ट्रेशन (किस्म सेंट्रिक-4,257 और प्रौद्योगिकी आधारित 3,079) का संचालन किया गया था। नमूना-जांच किए गए कृषि विज्ञान केंद्रों में फ्रंट लाइन डेमोंस्ट्रेशन के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि नई किस्मों का प्रसार फ्रंट लाइन डेमोंस्ट्रेशन के माध्यम से बड़ी संख्या में नई किस्मों के लिए नहीं किया गया था, फ्रंट लाइन डेमोंस्ट्रेशन का आयोजन पुरानी किस्मों पर किया गया था, जिसके कारण किसानों द्वारा फसल की नई किस्मों को नहीं अपनाया गया, जैसे कि नीचे चर्चा की गई है:

(i) बीज की नई किस्मों का प्रसार न करना

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक राज्य कृषि विश्वविद्यालय से बीजों की नवीनतम किस्मों को लोकप्रिय बनाने के लिए और किसानों को कृषि उत्पादन की वृद्धि के लिए अनुसंधान के लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाने हेतु उनका फ्रंट लाइन डेमोंस्ट्रेशन करना अपेक्षित है। नई किस्मों को लोकप्रिय बनाने और किसानों में आत्मविश्वास जगाने के लिए प्रत्येक राज्य कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा नई किस्म की उत्पादकता/संभाव्यता को इनपुट और उत्तम अभ्यास के उपयुक्त मिश्रण के साथ नई किस्म के डेमोंस्ट्रेशन के लिए निजी किसानों के खेतों में भागीदारी मोड में डेमोंस्ट्रेशन के लिए राज्य के कृषि-जलवायु क्षेत्र में एक ब्लॉक में एक या दो गांवों को अपनाया जाना था। इस प्रकार, बीज की नई किस्मों को प्रचलित करने के लिए फ्रंट लाइन डेमोंस्ट्रेशन आयोजित किए जाने थे। 2013-18 के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न फसलों के बीजों की 26 नई किस्में जारी की गई थी। नमूना-जांच किए गए कृषि विज्ञान केंद्रों के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि इनमें से 18 नई किस्मों (परिशिष्ट 2.3) के संबंध में फ्रंट लाइन डेमोंस्ट्रेशन बिल्कुल भी आयोजित नहीं किए गए थे जबकि दो³⁴ किस्मों के संबंध में फ्रंट लाइन डेमोंस्ट्रेशन इस अवधि के दौरान केवल एक बार आयोजित किए गए।

34

(i) राया (आर.एच.-406) (ii) फोरेज (एच.बी.-2)।

(ii) पुरानी किस्मों पर आयोजित फ्रंट लाइन डेमोंस्ट्रेशन

हालांकि बड़ी संख्या में नई किस्मों के प्रसार के लिए फ्रंट लाइन डेमोंस्ट्रेशन का आयोजन नहीं किया गया था, कृषि विज्ञान केंद्र, झज्जर और सादलपुर (हिसार) ने फसलों की पुरानी किस्मों पर फ्रंट लाइन डेमोंस्ट्रेशन का आयोजन किया जैसा कि तालिका 2.14 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.14: विभिन्न किस्मों पर आयोजित फ्रंट लाइन डेमोंस्ट्रेशन को दर्शाने वाले विवरण

फसल	किस्म	जारी करने का वर्ष	जिस वर्ष में डेमोंस्ट्रेशन फ्रंट लाइन का आयोजन किया गया और कृषि विज्ञान केंद्रों का नाम						जारी की गई नवीनतम किस्म एवं वर्ष	
			2013-14		2014-15		2015-16	2016-17	किस्म	वर्ष
राया	आर.एच.30	1983	झज्जर	सादलपुर	सादलपुर	-	सादलपुर	सादलपुर	आर.एच. 119	2010
									आर.एच. 749	2013
बरेली	बी.एच.393	2002	झज्जर	सादलपुर	सादलपुर	-	-	-	बी.एच. 885	2012
ग्राम	एच.सी.1	1990	सादलपुर	-	झज्जर	सादलपुर	सादलपुर	सादलपुर	एच.सी.-5	2005

(स्रोत: विश्वविद्यालय के अभिलेखों से संकलित डाटा)

वरिष्ठ समन्वयकर्ता, कृषि विज्ञान केंद्र, सादलपुर (हिसार) द्वारा जौ और चने के बारे में यह बताया गया (मई 2018) कि हाल में जारी की गई किस्मों के बीज उपलब्ध नहीं थे।

(iii) किसानों द्वारा नई फसल किस्मों को न अपनाना

102 किसानों का सर्वेक्षण, जिनके खेतों में 2015-16 के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र, फतेहाबाद, उज्हा (पानीपत) और झज्जर द्वारा फ्रंट लाइन डेमोंस्ट्रेशन आयोजित किए गए थे, अगस्त 2018 में लेखापरीक्षा द्वारा आयोजित किया गया था। 102 किसानों में से 67 किसानों ने फसलों की किस्मों के फ्रंट लाइन डेमोंस्ट्रेशन में भाग लिया और 35 किसानों ने प्रौद्योगिकी आधारित फ्रंट लाइन डेमोंस्ट्रेशन में भाग लिया। सर्वेक्षण के आधार पर, यह अवलोकित किया गया कि प्रौद्योगिकी को सभी किसानों द्वारा अपनाया गया था जबकि नई फसल किस्मों को पहले वर्ष में 66 प्रतिशत किसानों (44 किसानों) द्वारा अपनाया गया था जो दूसरे वर्ष में कम होकर 40 किसानों तक रह गया। इस प्रकार, नई फसल किस्मों को सार्वभौमिक रूप से नहीं अपनाया गया था। छः किसानों ने नई फसल किस्मों को न अपनाने के लिए नई किस्मों के बीजों की अनुपलब्धता को जिम्मेदार ठहराया। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि फ्रंट लाइन डेमोंस्ट्रेशन के अंतर्गत कवर किए गए किसानों के साथ फॉलो-अप करने के लिए कोई तंत्र नहीं बनाया गया था ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या किसानों ने नई अपनाई गई प्रथाओं का उपयोग किया है या नहीं।

इस प्रकार, नई किस्मों का प्रसार करने के लिए फ्रंट लाइन डेमोंस्ट्रेशन का संचालन ठीक से नहीं किया गया; दूसरी ओर पुरानी किस्मों के फ्रंट लाइन डेमोंस्ट्रेशन आयोजित किए गए थे, जिन्होंने कृषि उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिए किसानों के बीच नई बीज किस्मों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य को प्रभावित किया था। इसके अतिरिक्त, किसानों द्वारा नई फसल किस्म को अपनाना सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया था।

(iv) राज्य प्रायोजित कृषि विज्ञान केंद्र में फ्रंट लाइन डेमोंस्ट्रेशन का संचालन न करना

कृषि विज्ञान केंद्र का मुख्य कार्य नए जारी किए गए फसल उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकियों और विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों और खेती की स्थितियों के अंतर्गत किसान के खेत में इसकी प्रबंधन प्रथाओं को प्रदर्शित करने के लिए फ्रंट-लाइन प्रदर्शनों का संचालन करना था।

अंबाला और उचानी (करनाल) के दो राज्य प्रायोजित कृषि विज्ञान केंद्रों के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि कृषि विज्ञान केंद्र, अंबाला ने 2013-18 के दौरान कोई फ्रंट लाइन प्रदर्शन और ऑन-फार्म ट्रायल नहीं किया, जबकि कृषि विज्ञान केंद्र, उचानी (करनाल) ने इस अवधि के दौरान केवल 30 फ्रंट लाइन डेमोंस्ट्रेशन (खरीफ 2016) का संचालन किया। इस प्रकार, कृषि विज्ञान केंद्र जारी किए गए नए फसल उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करने में विफल रहे। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि विस्तार विशेषज्ञों के नौ पदों के विरुद्ध केवल दो पद भरे गए थे जबकि कृषि विज्ञान केंद्र, अंबाला में विस्तार विशेषज्ञों के सात पदों के विरुद्ध केवल तीन पद भरे गए थे। इसके अतिरिक्त, विस्तार गतिविधियों के लिए इन कृषि विज्ञान केंद्रों में बजट प्रावधान का अभाव था।

संबंधित वरिष्ठ समन्वयकों ने उत्तर दिया (दिसंबर 2017) कि मानवशक्ति की कमी और बजट का प्रावधान नहीं होने के कारण फ्रंट लाइन डेमोंस्ट्रेशन का संचालन नहीं किया जा सका। कृषि विज्ञान केंद्र, करनाल ने यह भी बताया कि यद्यपि समीप के अनुसंधान स्टेशनों/कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की मदद से शिकायत/प्रश्न/प्रशिक्षण आयोजित किए गए थे, फिर भी कर्मचारियों की कमी के कारण किसानों की शिकायतों/प्रश्नों को हल करने, प्रशिक्षण आयोजित करने में बाध्यताएं थीं। अतः, राज्य प्रायोजित कृषि विज्ञान केंद्र ठीक से काम नहीं कर रहे थे।

2.1.10.3 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना न करना

कृषि विज्ञान केंद्रों में छः³⁵ सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना के लिए भारत सरकार से ₹ 1.18 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी (नवंबर 2011 से अप्रैल 2012)। परामर्श एवं व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करने के लिए (जुलाई 2011) और टर्नकी आधार पर सेवाएं प्रदान करने के लिए (नवंबर 2011) ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे तथा इस कार्य को नवंबर 2012 तक पूर्ण किया जाना था। स्टूडियो के निर्माण, उपकरणों की खरीद, स्थापना और चालू करने के प्रभारों के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को देय फीस के लिए एजेंसी को ₹ 60.62 लाख का भुगतान (दिसंबर 2011) किया गया था। समझौता ज्ञापन के अनुसार ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड को कई मंत्रालयों/प्राधिकरणों से सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना के लिए निर्धारित अवधि के भीतर अर्थात् नवंबर 2012 तक क्लीयरेंस प्राप्त करनी अपेक्षित थी। तथापि, निर्धारित तारीखों के पांच साल से अधिक पूरे होने के बाद भी सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना नहीं की गई थी। यहां तक कि विभिन्न प्राधिकरणों से क्लीयरेंस लंबित थी। यह इंगित करता है कि विश्वविद्यालय की ओर से अनुसरण का अभाव था।

³⁵ (i) सिरसा, (ii) रोहतक, (iii) जींद (iv) कुरुक्षेत्र, (v) पानीपत, (vi) झज्जर।

विश्वविद्यालय ने बताया (सितंबर 2018) कि सभी छः कृषि विज्ञान केंद्रों के संबंध में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को चालू करने के लिए पांच प्रमुख चरणों में से चार को संस्वीकृति दे दी गई है। अंतिम चरण अर्थात् वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस (डब्ल्यू.ओ.एल.) मुद्दे को जल्द ही संस्वीकृति मिल जाएगी और वित्तीय वर्ष 2018-19 के भीतर सामुदायिक रेडियो स्टेशन को चालू कर दिया जाएगा।

इस प्रकार, अनुसरण और निगरानी में कमी के कारण, निधियों के जारी होने के छः साल बाद भी सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप निधियां बेकार हुईं और किसानों को नवीनतम कृषि सूचनाएं प्रदान करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ।

2.1.10.4 कृषि विज्ञान केंद्रों में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला

मृदा और जल परीक्षण प्रयोगशाला किसानों को उनके खेत की मिट्टी की पोषक संरचना का विश्लेषण करने में मदद करती है और मिट्टी के विश्लेषण के आधार पर फसलों के लिए उर्वरकों के अनुप्रयोग के लिए सिफारिशें करती है।

चयनित कृषि विज्ञान केंद्रों के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि दो कृषि विज्ञान केंद्रों (पानीपत और फतेहाबाद) में मृदा और जल परीक्षण प्रयोगशाला, कुशल स्टाफ की अनुपलब्धता/मूलभूत संरचना के अभाव के कारण अकार्यात्मक थी और शेष छः कृषि विज्ञान केंद्रों (केथल, रोहतक, सादलपुर, जींद, झज्जर और करनाल) में मृदा और जल परीक्षण प्रयोगशालाएं क्रियाशील थीं। कृषि विज्ञान केंद्र, (अंबाला) में मृदा और जल परीक्षण प्रयोगशाला अभी तक स्थापित नहीं हुई थी।

इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि कृषि विज्ञान केंद्र, फतेहाबाद ने मृदा और जल परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए ₹ 15 लाख मूल्य के उपकरण/फर्नीचर खरीदे (मार्च-मई 2017) थे परंतु ये वस्तुएं उपयुक्त भवन/कमरों व कुशल मानवशक्ति की अनुपलब्धता के कारण स्टोर में सील बंद पड़े थे। उपकरणों की खरीद के समय भी मानवशक्ति उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार, उपकरणों की खरीद पर किया गया ₹ 15 लाख का कुल व्यय निष्फल रहा जिसके परिणामस्वरूप अभिप्रेत लाभ प्राप्त नहीं किए जा सके।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान विश्वविद्यालय ने बताया कि मृदा और जल परीक्षण प्रयोगशाला को उचित रूप से चलाने के लिए अनुकूल कुशल मानवशक्ति प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे थे।

चूँकि ये अवलोकन कुछ प्रयोगशालाओं की नमूना-जांच पर आधारित हैं, इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि विश्वविद्यालय अकादमिक, अनुसंधान और विस्तार उद्देश्यों के लिए इनके इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयोगशालाओं की कार्यप्रणाली की जांच करें।

2.1.11 निष्कर्ष

विश्वविद्यालय की आठ प्रयोगशालाएं, कर्मचारियों और उपकरणों की कमी के कारण अकार्यात्मक थीं। अनुसंधान परिणामों के प्रसार के लिए कोई औपचारिक प्रणाली नहीं थी और यह सुनिश्चित करने के लिए कोई ऑडिट ट्रेल नहीं था कि क्या परिणामों को अभिप्रेत लाभार्थियों तक पहुंचाया गया था। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि नमूना-जांच की गई 27 अनुसंधान परियोजनाओं में

से 10 में अभीष्ट उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि चार परियोजनाएं अपूर्ण रहीं, एक को असामान्य देरी के बाद पूरा किया गया, तीन को छोड़ दिया गया और दो परियोजनाओं में विश्वविद्यालय द्वारा प्रभाव का आकलन नहीं किया गया। विश्वविद्यालय ने गुणवत्ता वाले बीजों की मांग के आकलन के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया था और विश्वविद्यालय के बीजों के लिए बाजार का पर्याप्त रूप से उपयोग नहीं किया गया था। नई किस्मों के बीजों के लिए फ्रंट लाइन डेमोंस्ट्रेशन नहीं किए गए थे। कृषि विज्ञान केंद्रों में भूमि के कम उपयोग ने किसानों के बीच नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों के प्रसार को प्रभावित किया। 55 प्रतिशत शिक्षण स्टाफ और 41 प्रतिशत गैर-शिक्षण स्टाफ की कमी थी, जिसने कृषि विज्ञान केंद्रों, प्रयोगशालाओं और एक पुस्तकालय के काम पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। हॉस्टल में मूलभूत सुविधाओं की कमी थी और लड़कों के तीन हॉस्टलों का रख-रखाव बहुत खराब था।

2.1.12 सिफारिशें

सरकार निम्नलिखित पर विचार करे:

- अनुसंधान परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करना और उनकी समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करना;
- नई जारी किस्मों के प्रजनक बीज को किसान के बीच फ्रंट लाइन डेमोंस्ट्रेशन के माध्यम से प्रचारित किया जाना चाहिए;
- विश्वविद्यालय को उन किसानों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने फ्रंट लाइन डेमोंस्ट्रेशन में भाग लिया था और यह आकलन करने के लिए एक निगरानी प्रणाली यह जानने के लिए विकसित की जानी चाहिए कि क्या और किस सीमा तक नई प्रौद्योगिकियों/किस्मों को अपनाया गया है तथा अभिप्रेत लाभ प्राप्त किए गए हैं;
- विश्वविद्यालय को अपने बीजों की बिक्री के अधिक बिक्री केंद्र स्थापित करने के लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि अधिक से अधिक किसान लाभान्वित हो सकें;
- अवर्गीकृत अनुदान और अस्थायी अग्रिमों के समायोजन के संदर्भ में वित्तीय प्रबंधन को विशेष रूप से मजबूत किया जाना चाहिए; तथा
- हॉस्टल के बुनियादी ढांचे को उन्नत किया जाना चाहिए और स्वच्छता में सुधार किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा परिणाम जुलाई 2018 में सरकार के पास भेजे गए थे परंतु उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2019)।